न्यायालय–अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.)

(समक्षः गौतम सिंह मरकाम)

:: प्रारूप–घ ::

S.C.	30/2024
Date of Filling	08-10-2024
Filling No.	3525/2024
CNR No.	MP500100 4474 2024
Charge U/S	भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 137(2), 87, 64(2)(एम), 88 एवं धारा 5(एल), 5 (जे)(ii)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
F.I.R. No.	12/2024

अभियोगी/परिवादी	म.प्र. राज्य द्वारा थाना प्रभारी महिला पुलिस थाना, बालाघाट जिला बालाघाट (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्रीमती आरती कपले, विशेष लोक अभियोजक वास्ते राज्य
अभियुक्त	(1) रिंकेश घंसुरे उम्र 27 वर्ष पिता झनकलाल घंसुरे निवासी ग्राम पोस्ट भण्डारबोड़ी पुलिस थाना खैरलांजी जिला बालाघाट (म.प्र.)
अभियुक्त	(2) आशीष कुमार जगने उम्र 20 वर्ष पिता दुर्गाप्रसाद जगने निवासी ग्राम पोस्ट सालेबर्डी, वार्ड नम्बर 20 पुलिस थाना रामपायली जिला बालाघाट (म.प्र.)

प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री पंकज पिपरेवार अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त रिंकेश घंसुरे
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री तपेश कुमार रंगारे अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त आशीष जगने

:: प्रारूप-ङ ::

अपराध की तारीख	01.07.2022 से 20.08.2024
प्रथम सूचना की तारीख	24.08.2024
आरोप-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख	08.10.2024
आरोपों के विरचना की तारीख	05.11.2024
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	09.12.2024
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	05.02.2026
निर्णय की तारीख	10.02.2026
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	-

:: अभियुक्त का विवरण ::

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द.प्र.सं. प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	रिंकेश घंसुरे पिता झनकलाल	25-08-24	न्यायिक अभिरक्षा में है	137(2), 87, 64 (2)(m), 88 BNS 2023 & 5(L), 5 (j)(ii)/6 Pocso Act	**दोषमुक्ति**	-	01 वर्ष 05 माह 06 दिन

2	आशीष कुमार जगने पिता दुर्गाप्रसाद जगने	25-08-24	न्यायिक अभिरक्षा में है	137(2), 87, 64 (2) (m), 88 BNS 2023 & 5(L), 5 (j)(ii)/6 Pocso Act	**दोषमुक्ति**	-	01 वर्ष 05 माह 06 दिन

:: प्रारूप-च ::

<u>अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची</u>

क. अभियोजन

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)**
1	अभियोक्त्री	पीड़ित साक्षी
2	डॉ. साहिल खान	चिकित्सीय साक्षी
3	अभियोक्त्री के पिता	अन्य साक्षी
4	कोकिला बंसोड़	अन्य साक्षी
5	बालकिशन मेश्राम	अन्य साक्षी
6	तोपेश बिसेन	अन्य साक्षी
7	डॉ. वर्षा रंगारे	चिकित्सीय साक्षी
8	शिवलेश हनवत	अन्य साक्षी
9	किरण वटके	पुलिस साक्षी
10	रीना नगपुरे	पुलिस साक्षी
11	बलराम यादव	पुलिस साक्षी
12	डॉ. अवनीश कुमार	वैज्ञानिक साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी :-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
01	रिंकेश घंसुरे (आरोपी)	बचाव साक्षी

ग. न्यायालयीन साक्षी :-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
-	-	-

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शो की सूची.

क. अभियोजन

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी 1/अभि.सा.क्र.1	अभियोक्त्री का जन्म प्रमाण-पत्र
-	प्रदर्श पी 1सी/अभि.सा.क्र.1	अभियोक्त्री के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यप्रति
2	प्रदर्श पी 2/अभि.सा.क्र.1	अभियोक्त्री की कक्षा 10वीं की अंकसूची
3	प्रदर्श पी 3/अभि.सा.क्र.1	लिखित शिकायत
4	प्रदर्श पी 4/अभि.सा.क्र.1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
5	प्रदर्श पी 5/अभि.सा.क्र.1	मौकानक्शा
6	प्रदर्श पी 6/अभि.सा.क्र.1	मौकानक्शा
7	प्रदर्श पी 7/अभि.सा.क्र.1	मौकानक्शा
8	प्रदर्श पी 8/अभि.सा.क्र.1	मौकानक्शा
9	प्रदर्श पी 9/अभि.सा.क्र.1	अंकसूची व जन्म प्रमाण पत्र का जप्तीपत्रक
10	प्रदर्श पी 10/अभि.सा.क्र.1	अभियोक्त्री के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान
11	प्रदर्श पी 11/अभि.सा.क्र.2	आरोपी रिंकेश की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट
12	प्रदर्श पी 12/अभि.सा.क्र.2	आरोपीआशीष की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट

13	प्रदर्श पी 13/अभि.सा.क्र.2	आरोपी रिंकेश का आईडेंटिफिकेशन फार्म
14	प्रदर्श पी 14/अभि.सा.क्र.2	आरोपी आशीष का आईडेंटिफिकेशन फार्म
15	प्रदर्श पी 15/अभि.सा.क्र.3	सहमति पत्र
16	प्रदर्श पी 16/अभि.सा.क्र.3	आरोपी रिंकेश का गिरफ्तारी पत्रक
17	कोई दस्तावेज प्रदर्श नहीं	-
18	प्रदर्श पी 18/अभि.सा.क्र.4	साक्षी कोकिला का पुलिस बयान
19	प्रदर्श पी 19/अभि.सा.क्र.6	साक्षी तोपेश बिसेन का पुलिस बयान
20	प्रदर्श पी 20/अभि.सा.क्र.7	अभियोक्त्री की मेडिकल रिपोर्ट
21	प्रदर्श पी 21/अभि.सा.क्र.7	अभियोक्त्री का न्यू एम.एल.सी. फार्म
22	प्रदर्श पी 22/अभि.सा.क्र.8	अभियोक्त्री की जन्मतिथि संबंधी दाखिला प्रविष्टि
23	प्रदर्श पी 23/अभि.सा.क्र.8	शाला प्रमाण पत्र
24	प्रदर्श पी 24/अभि.सा.क्र.8	शाला प्रमाण पत्र
25	प्रदर्श पी 25/अभि.सा.क्र.9	अभियोक्त्री के मुलाहिजा उपरांत प्रिजर्व सीलबंद पैकेट का जप्तीपत्रक
26	प्रदर्श पी 26/अभि.सा.क्र.9	आरोपी रिंकेश का गिरफ्तारी पत्रक
27	प्रदर्श पी 27/अभि.सा.क्र.9	आरोपी रिंकेश से जप्तशुदा मोबाईल का जप्तीपत्रक
28	प्रदर्श पी 28/अभि.सा.क्र.9	आरोपी आशीष से जप्तशुदा मोबाईल का जप्तीपत्रक
29	प्रदर्श पी 29/अभि.सा.क्र.9	आरोपीगण सीमेन स्लाईड, अंडरवियर, प्यूबिक हेयर व ब्लड सेंपल का जप्तीपत्रक
30	प्रदर्श पी 30/अभि.सा.क्र.9	धारा 63 (4)(ग) का प्रमाण पत्र
31	प्रदर्श पी 31/अभि.सा.क्र.9	जप्ती पत्रक
32	प्रदर्श पी 32/अभि.सा.क्र.9	एफ.एस.एल. सागर को भेजे गये प्रदर्शो का ड्राफ्ट
33	प्रदर्श पी 33/अभि.सा.क्र.9	पावती
34	प्रदर्श पी 34/अभि.सा.क्र.9	डी.एन.ए. रिपोर्ट
-	प्रदर्श पी 34/अभि.सा.क्र.12	डी.एन.ए. रिपोर्ट
35	प्रदर्श पी 35/अभि.सा.क्र.9	जप्तशुदा मोबाईल को जांच हेतु भेजे जाने का पत्र

36	प्रदर्श पी 36/अभि.सा.क्र.9	पावती
37	प्रदर्श पी 37/अभि.सा.क्र.9	जप्तशुदा मोबाईल से सायबर फोरेंसिक रिपोर्ट
38	प्रदर्श पी 38/अभि.सा.क्र.9	जप्त मोबाईल नंबरों की सी.डी.आर. कैफ एवं लोकेश के संबंध में जानकारी संबंधी पत्र
39	प्रदर्श पी 39/अभि.सा.क्र.9	सी.डी.आर. कैफ
40	प्रदर्श पी 40/अभि.सा.क्र.11	धारा 63 (4)(ग) का प्रमाण पत्र

ख. प्रतिरक्षा

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्र.डी.1/अ.सा.1	अभियोक्त्री के धारा 180 बी.एन.एस.एस. के कथन
2	प्र.डी.1/अ.सा.9	सूचना के अधिकार के संबंध में दस्तावेज प्राप्ति पत्र

ग. न्यायालयीन प्रदर्श

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
-	-	-

घ. आवश्यक वस्तुएं

सं.क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
01	आर्टिकल ए-1/अ.सा.9	अभियोक्त्री के कथन की डी.व्ही.डी.

महिला पुलिस थाना, बालाघाट जिला बालाघाट (म.प्र.) के अपराध क्रमांक 12/2024, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 137(2), 87, 64 (2)(m), 88 BNS 2023 & 5(L), 5 (j)(ii)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

(निर्णय)

(आज दिनांक 10 फरवरी, 2026 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त **रिंकेश घंसुरे** पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 137(2), 87, 64 (2)(m), 88 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(L), 5 (j)(ii)/6 के तहत आरोप है कि, उसने दिनांक 01.07.2022 के आसपास ग्राम कन्हारटोला अंतर्गत थाना रामपायली की 16 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री जो कि भौरगढ़ जाने वाली बस में थी, को बहला-फुसलाकर, अयुक्त संभोग करने के आशय से उसके माता-पिता की विधिक संरक्षकता से पृथक् कर भौरगढ़ से बालाघाट भटेरा स्थित मकान पर ले जाकर, रखकर उसका व्यपहरण किया एवं दिनांक 01.07.2022 से 20.08.2024 के मध्य की अवधियों में अवयस्क अभियोक्त्री को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ विभिन्न स्थानों पर बार-बार बलात्संग किया एवं उसके गर्भवती होने के दौरान गर्भपात की टेबलेट खिलाकर उसका गर्भपात कराया तथा बार-बार बलात्संग कर गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया जिसके फलस्वरूप अभियोक्त्री गर्भवती हुई तथा अभियुक्त **आशीष कुमार जगने** पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 137(2), 87, 64 (2)(m), 88 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(L), 5 (j)(ii)/6 के तहत आरोप है कि, उसने दिनांक 27.02.2024 के आसपास ग्राम कन्हारटोला अंतर्गत थाना रामपायली की 16 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर, अयुक्त संभोग करने के आशय से उसके माता-पिता की विधिक संरक्षकता से पृथक कर मोतीनगर बालाघाट स्थित मकान पर रखकर उसका व्यपहरण किया एवं दिनांक 27.02.2024 से 20.08.2024 के मध्य की अवधियों में अवयस्क अभियोक्त्री के साथ विभिन्न स्थानों पर बार-बार बलात्संग किया एवं उसके गर्भवती होने के दौरान गर्भपात की टेबलेट खिलाकर उसका गर्भपात कराया तथा बार-बार बलात्संग कर गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया जिसके फलस्वरूप अभियोक्त्री गर्भवती हुई।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि आरोपी रिंकेश ग्राम भण्डारबोड़ी का रहने वाला है तथा बस कंडेक्टर है तथा पुलिस द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार किया जाकर उसका मुलाहिजा कराया गया था।

3. संहिता की धारा-228 (ए) के प्रावधानों की परिधि एवं न्यायदृष्टांत **हिमाचल प्रदेश राज्य विरूद्ध श्रीकांत सेकरी 2004(8) एस.सी.सी. 153 एवं सुभाषचंद राय विरूद्ध सिक्कीम राज्य 2018 कि.लॉ.जन.3146 (सिक्कीम) एवं भूपेन्द्र शर्मा विरूद्ध स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 2003(8) एस.सी.सी. 551** में पारित विधिक सिद्धांत एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 33(9) के अनुपालन में, पीड़िता की पहचान उजागर न हो, इस कारण पीड़िता को **"अभियोक्त्री"** नाम से संबोधित किया जा रहा है तथा उससे संबंधित अन्य विवरण आदि का उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

4. अभियोजन द्वारा बताई गई घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने महिला पुलिस थाना बालाघाट में इस आशय की लिखित शिकायत प्रस्तुत की कि वह ग्राम कन्हारटोला थाना रामपायली जिला बालाघाट में अपने परिवार के साथ निवासरत होकर कक्षा दसवीं तक पढ़ाई की है। करीब दो वर्ष पूर्व पिता के मोबाईल नंबर 9993783118 पर मोबाईल नंबर 6205322049 से फोन आया जिसे अभियोक्त्री ने उठाया और फोन करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने रिंकेश घंसुरे निवासी भण्डारबोड़ी का होना बताया तत्पश्चात अभियोक्त्री की बातचीत रिंकेश से मोबाईल पर होने शुरू हो गई। रिंकेश ने बताया था कि वह बस में कन्डेक्ट्री का काम करता है। माह जुलाई 2022 की बात है। उक्त समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रामपायली आए हुए थे। बारिश हो रही थी और अभियोक्त्री कन्हारटोला जाने के लिये भौरगढ़ से रामपायली वाली बस सरकार बस में बैठी थी जिसमें रिंकेश घंसुरे (आरोपी) कंडेक्टर था जिसने अभियोक्त्री को बालाघाट चलने कहा तो अभियोक्त्री जाने तैयार हो गई तत्पश्चात् रिंकेश उसे बालाघाट में भटेरा रोड पर किसी मित्र के रूम पर लेकर गया और वहां खाने-पीने का कुछ लाया उसके

बात बातचीत हुई तत्पश्चात रिंकेश ने कहा कि वह उसे पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है तो अभियोक्त्री उसकी बातों में आ गई और रिंकेश को हां बोल दी उसके बाद उसके मना करने पर भी रिंकेश ने उसके साथ कई बार अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया तत्पश्चात अभियोक्त्री के पिता को उक्त बात का पता चला तो उन्होंने डांट-फटकार लगाई जिस कारण वह परेशान हो गई और संपूर्ण बात रिंकेश को बताई तब रिंकेश ने कहा कि चलो शादी कर लेते है और साथ में रहेगें तो वह दिनांक 27.02.2024 को कन्हारटोला से पैदल लालपुर आयी और रिंकेश के साथ बालाघाट आ गई। रिंकेश ने उसे सालेबर्डी निवासी आशीष के कमरे में ले जाकर रखा। आशीष को वह पूर्व से जानती थी वह उसका मुंह बोला भाई था इसलिए रिंकेश ने उसे वहां रखा था। वहां पर भी रिंकेश ने अभियोक्त्री के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया। आशीष नाईट शिफ्ट में काम करता था और रिंकेश बस में दिन में कन्डेक्ट्री के काम से एक दिन छोड़कर कमरे में आता था। रात रूकता और दूसरे दिन सुबह 6 बजे चले जाता था। उक्त दौरान अभियोक्त्री की आशीष से ज्यादा दोस्ती हो गई और आशीष ने दोस्ती की आड़ में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चालू कर दिया। जब भी रिंकेश न होता तो आशीष अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और रिंकेश को बताने से मना करता था। इस दौरान अभियोक्त्री गर्भवती हो गई जिसकी सूचना उसने आशीष और रिंकेश को बताई तो दोनों ने टेबलेट लाकर दिये और टेबलेट खाने से उसकी माहवारी आना शुरू हो गई। दो-चार दिन के बाद रिंकेश रूम पर आया और अभियोक्त्री का मोबाईल चेक किया और कहा कि किसी और से बात करती है कहकर शक करने लगा और उसका मोबाईल तोड़ दिया और वहां से चला गया तथा कहने लगा कि वह उससे शादी नहीं करेगा। मकान मालिक को शक होने पर उन्होंने कमरा खाली करने कहा तो वे लोग बूढ़ी में किराये के कमरे में एक माह रहे तत्पश्चात वह आशीष के साथ मोतीनगर में किराये के कमरे में रहने लगी, जहां वह करीब 3 माह आशीष के साथ रही जहां आशीष ने अभियोक्त्री के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया। आशीष ने उसे छोटी बहन शिवानी

बताकर रखा था। उक्त स्थान पर भी मकान मालिक को शक होने पर मकान खाली करने कहा तब आशीष ने 01 अगस्त को गर्रा में तोपेश बिसेन के किराये के कमरे में लाकर रखा वहां पर भी आशीष ने छोटी बहन बताकर रखा और उसके साथ कई बार बलात्कार किया। आशीष और रिंकेश के पास उसकी फोटो है। रिंकेश उक्त फोटो को लेकर उसे डराता था इस कारण उसने रिपोर्ट लेख नहीं कराई। तत्पश्चात् आशीष व रिंकेश के द्वारा प्रताड़ित किए जाने तथा परेशान हो जाने के कारण उनके विरूद्ध रिपोर्ट लेख कराने उक्त लिखित शिकायत पेश की। उपरोक्त के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध महिला पुलिस थाना बालाघाट में अपराध क्रमांक 12/2024, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 137(2), 87, 64 (2)(m), 88 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(L), 5 (j)(ii)/6 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रकरण में विवेचना की गई। घटनास्थल का नजरीनक्शा बनाया गया। संपत्ति जप्तीपत्रक तैयार किया गया। अभियोक्त्री एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त-गण को गिरफ्तार किया गया, उनका भी मेडिकल मुलाहिजा करवाया गया था तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त-गण के विरूद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. अभियुक्त-गण के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त-गण ने अभिवाक् करते हुए यह कहा है कि उनके द्वारा अपराध कारित नहीं किया गया। उक्त अभिवाक् को लेख करते हुए उनका विचारण किया गया। विचारण के दौरान आयी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त **रिंकेश** ने अपने बचाव में कहा है कि वह और पीड़िता शादी करने वाले थे और आशीष इसी बात को लेकर उससे रंजिश रखता था इसलिए उसने पीड़िता पर दबाव बनवाकर उसके विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाया तथा अभियुक्त **आशीष** ने बचाव में कहा है कि पीड़िता के द्वारा दिनांक 24.08.2024 को झूठा आवेदन बनवाकर उसके विरूद्ध आरोप लगाये है उसका पीड़िता से कोई संबंध नहीं रहा है। वे निर्दोष हैं। प्रकरण में झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में आरोपी रिंकेश

ने स्वयं के कथन दर्ज कराएं है। आरोपी आशीष ने बचाव में कोई कथन नहीं कराएं है।

6. प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं :-

01- क्या अभियोक्त्री दिनांक 01.07.2022 को 18 वर्ष से कम आयु की होकर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-2 (डी) के अधीन "बालक" थी ?

02- क्या अभियुक्त-गण ने दिनांक 01.07.2022 व 27.02.2024 को 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क अभियोक्त्री को उसके माता-पिता की विधिक संरक्षकता से पृथक कर बालाघाट ले जाकर अपने साथ रखकर उसका व्यपहरण किया ?

03- क्या अभियुक्त-गण ने उपरोक्त अवधि में अवयस्क अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर, अयुक्त संभोग करने के आशय से उसका व्यपहरण किया ?

04- क्या अभियुक्त रिंकेश घंसुरे ने दिनांक 01.07.2022 से दिनांक 20.08.2024 के मध्य की अवधियों में अवयस्क अभियोक्त्री के साथ विभिन्न स्थानों पर उसकी इच्छा के विरूद्ध बार-बार बलात्संग किया ?

05- क्या अभियुक्त आशीष कुमार जगने ने दिनांक 27.02.2024 से दिनांक 20.08.2024 के मध्य की अवधियों में अवयस्क अभियोक्त्री के साथ विभिन्न स्थानों पर उसकी इच्छा के विरूद्ध बार-बार बलात्संग किया ?

06- क्या अभियुक्त-गण ने उपरोक्त अवधियों के मध्य अभियोक्त्री के गर्भवती होने के दौरान उसे गर्भपात की दवाई खिलाकर उसका गर्भपात कराया ?

07- क्या अभियुक्त-गण ने उपरोक्त अवधियों के मध्य अवयस्क अभियोक्त्री के साथ बार-बार बलात्संग कर गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया जिसके परिणामस्वरूप अभियोक्त्री गर्भवती हुई ?

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक - 01 का विवेचन एवं निष्कर्ष</u> :-

7. सर्वप्रथम इस तथ्य पर विचार करना होगा कि क्या घटना दिनांक 01.07.2022 को अभियोक्त्री 18 वर्ष से कम आयु की होकर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

की धारा-2 डी के तहत **बालक** की श्रेणी में आती है ?

8. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में देखें, तो **अभियोक्त्री अ.सा.1** ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में अपनी स्वयं की जन्मतिथि 29.12.2007 बताई है एवं प्रकरण में जन्म प्रमाण पत्र प्र.पी.1 प्रस्तुत किया है जिसे उप निरीक्षक किरण वटके अ.सा.9 के द्वारा जप्त कर उसकी सत्यप्रति प्र.पी.1-सी प्रस्तुत की गई है जिसमें भी अभियोक्त्री की जन्मतिथि 29.12.2007 दर्ज है। अभियोक्त्री के **पिता अ.सा.3** ने भी अभियोक्त्री की जन्मतिथि 29.12.2007 बताया है।

9. अभियोक्त्री की आयु के संबंध में रामपायली आनरेबल इंग्लिश स्कूल के प्रधान पाठक **शिवलेश हनवत अ.सा.8** के द्वारा अपनी न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि वह अपने साथ 24.06.2011 से 01.12.2022 तक संधारित दाखिल खारिज पंजी की मूल प्रति लेकर आया है। उक्त साक्षी ने आगे कहा कि अभियोक्त्री ने उनके स्कूल में कक्षा के.जी.1 में दिनांक 01.07.2011 को दाखिला लिया था तथा कक्षा 6 तक पढाई होने के उपरांत दिनांक 23.06.2018 को टी.सी. प्रदान कर दी गई थी। दाखिल खारिज पंजी की प्रविष्टि क्रमांक 15 पर अभियोक्त्री की जन्मतिथि 29.12.2007 का उल्लेख है। दाखिल खारिज पंजी प्रदर्श पी.22 है तथा प्रमाणित छायाप्रति प्रदर्श पी-22सी एवं शाला प्रमाण पत्र प्र.पी.23 व प्र.पी.24 है जिनके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। **प्रतिपरीक्षण** में शिक्षक साक्षी स्वीकार करता है कि उससे प्र.पी.22 की प्रति को पुलिस ने जप्त नहीं किया। यह स्वीकार करता है कि प्र.पी.22 में इस बात का उल्लेख नहीं है कि अभियोक्त्री की जन्मतिथि किस आधार पर लेख की गई थी। यह भी स्वीकार करता है कि उसने प्र.पी.23 व प्र.पी.24 में पीड़िता की जन्मतिथि किस दस्तावेज के आधार पर लेख किया है, का उल्लेख नहीं किया है।

10. अभियोक्त्री का मुख्य परीक्षण देखें तो वह कक्षा 1 से 5 तक आनरेबल इंग्लिश मीडियम स्कूल रामपायली में पढ़ना बताती है। अभियोक्त्री के पिता ने भी मुख्य परीक्षण में आनरेबल इंग्लिश स्कूल में अभियोक्त्री को पढ़ना बताया है। वहीं अभियोक्त्री ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है

कि वह कक्षा 1 से 5 अमई गांव में पढ़ी है। अभियोक्त्री का पिता भी स्वीकार करता है कि अभियोक्त्री की पढ़ाई ग्राम अमई में ही कराया था, उसे कहीं बाहर पढ़ने नहीं भेजा, जबकि दाखिल खारिज पंजी प्र.पी.22 का अवलोकन करें, तो वह आनरेबल इंग्लिश स्कूल रामपायली की है। जब अभियोक्त्री आनरेबल स्कूल में पढ़ी ही नहीं तो उसका दाखिल खारिज आनरेबल स्कूल में कैसे हो गया। शिक्षक साक्षी ने स्वीकार किया है कि उससे पुलिस ने दाखिला पंजी प्र. पी.22 जप्त नहीं किया। जहां तक अभियोक्त्री का जन्म प्रमाण-पत्र प्र.पी.1 का प्रश्न है तो उसे मात्र अभियोक्त्री द्वारा पेश किया गया है, कहां, कब व किस आधार पर तैयार किया गया, के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। इस संबंध में अभियोक्त्री के पिता का कथन देखें, तो उसने बताया है कि अभियोक्त्री का जन्म सुराना अस्पताल वारासिवनी में हुआ था। अब जन्म प्रमाण पत्र प्र.पी.1 को देखें, तो वह जनपद पंचायत खैरलांजी द्वारा 01.11.2017 को जारी किया गया है जिसमें पंजीकरण की तारीख भी 01.11.2017 ही अंकित है अर्थात प्रश्नगत जन्म प्रमाण पत्र अभियोक्त्री के जन्म के 10 वर्ष पश्चात तैयार किया गया है। जब अभियोक्त्री का जन्म वारासिवनी के अस्पताल में हुआ तो उसका जन्म प्रमाण पत्र भी वारासिवनी अस्पताल या नगर पालिका वारासिवनी के द्वारा ही जारी होना था। शिक्षक साक्षी ने बताया है कि अभियोक्त्री ने के.जी.वन में 01.07.2011 को उनके स्कूल में दाखिला लिया था और प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि पीड़िता की जन्मतिथि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर लेख की गई है। जब जन्म प्रमाण पत्र 01.11.2017 को जारी किया गया और अभियोक्त्री ने स्कूल में 01. 07.2011 को प्रवेश लिया तो उस समय कौन सा जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी जन्मतिथि लेख की गई, शिक्षक साक्षी के कथनों में गंभीर विरोधाभाष उत्पन्न करता है जबकि शिक्षक साक्षी स्वयं ही यह भी स्वीकार कर रहा है कि उसने प्र.पी.23 व प्र.पी.24 में पीड़िता की जन्मतिथि किस दस्तावेज के आधार पर लेख है, का उल्लेख नहीं किया है। अभियोक्त्री ने भी बताया है कि उसका जन्म प्रमाण पत्र उसके पिता ने बनवाया था, कहां और किस आधार पर बनवाए इस संबंध में अभियोक्त्री व उसके पिता की साक्ष्य में उक्त तथ्य का अभाव है।

11. इस प्रकार अभियोक्त्री की आयु के संबंध में आयी समस्त साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अभियोक्त्री की स्कॉलर पंजी में लिखाई गई **जन्मतिथि** किसी वैधानिक जानकारी के आधार पर लिखाया जाना प्रमाणित नहीं होता है तथा यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियोक्त्री का जन्म प्रमाण कब, किसने और किस आधार पर तैयार करवाया। अतः उपरोक्त साक्ष्य से स्कॉलर पंजी में लिखी जन्मतिथि में संदेह उत्पन्न होता है। अभियोक्त्री की आयु के संबंध में स्कूल का स्कॉलर रजिस्टर प्र.पी.22-सी एवं शाला प्रमाण-पत्र प्र.पी.23 प्रस्तुत किया गया है एवं उसे केवल प्रस्तुत कर दिए जाने के आधार पर प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

12. बचाव पक्ष की ओर से तर्क कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण में संलग्न दाखिल खारिज पंजी आनरेबल इंग्लिश स्कूल रामपायली की है जो कि एक प्रायवेट संस्था है और उनके द्वारा ही दाखिल खारिज पंजी को संधारित किया गया है वह लोकसेवक नहीं है, इसलिए उसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्यायदृष्टांत-**सुरेश विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, क्रिमीनल अपील क्रमांक 347/2018 (सु.को) निर्णय दिनांक 01.08.2025** अवलोकनीय है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वह प्रथम स्कूल जहां अभियोक्त्री ने पढ़ाई की थी-एक सरकारी स्कूल नहीं है, इसलिए उक्त स्कूल द्वारा रखे गए रिकार्ड सार्वजनिक दस्तावेज नहीं होंगे। इसके अलावा साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को "लोक सेवक" नहीं कहा जा सकता। इस मामले में भी प्रधान पाठक शिवलेश हनवत अ.सा.8 ने स्वीकार किया है कि आनरेबल इंग्लिश स्कूल एक प्रायवेट स्कूल है। अतः उपरोक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत के आलोक में प्रस्तुत दाखिल पंजी को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। अतः स्कॉलर रजिस्टर में लिखी जन्मतिथि को अभियोक्त्री की जन्मतिथि नहीं माना जा सकता है।

13. जहां तक अभियोक्त्री के द्वारा जन्म प्रमाण प्र.पी.1 पेश किए जाने का प्रश्न है तो अभियोक्त्री के पिता ने यह स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री का जन्म वारासिवनी के अस्पताल में हुआ है

किंतु जन्म प्रमाण पत्र जनपद पंचायत खैरलांजी के द्वारा अभियोक्त्री के जन्म के 10 वर्ष पश्चात तैयार करवाया गया है एवं किस आधार पर तैयार करवाया गया, के संबंध में अभियोक्त्री के पिता ने कोई कथन नहीं किये हैं। अभियोक्त्री ने भी जन्म प्रमाण पत्र को उसके पिता के द्वारा ही बनवाया जाना बताया है। जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले कर्मचारी/अधिकारी की साक्ष्य नहीं कराई गई है, केवल अभियोक्त्री के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र को पेश कर दिए जाने से उसे प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

14. लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम, 2012 एक कठोर अधिनियम है, और उक्त अधिनियम के अंतर्गत आरोपित धाराओं के विचारण के लिए अभियोजन को पुष्ट साक्ष्य से यह प्रमाणित करना अपेक्षित है कि घटना दिनांक को पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम थी। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिये अभियोजन का यह गुरूत्तर दायित्व है, कि वह घटना के समय अभियोक्त्री के अवयस्क होने का तथ्य प्रमाणित करें। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत सुनील विरूद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा (2010) 1 एस.सी.सी. 742** में अभिनिर्धारित सिद्धांत के अनुसार दांडिक प्रकरणों में आरोपी की दोषसिद्धि अभियोक्त्री की अनुमानित आयु, जो किसी अभिलेख से समर्थित न हो, के आधार पर नहीं की जा सकती तथा अनुमानित आयु के आधार पर की गई ऐसी दोषसिद्धि उचित भी नहीं हैं।

15. अतः अभियोक्त्री के दाखिल खारिज पंजी में उल्लेखित जन्मतिथि 29.12.2007 निश्चायक नहीं मानी जा सकती है। अतः उपरोक्त अभिलेखीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियोक्त्री घटना दिनांक को 18 वर्ष से कम आयु की होकर, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत **" बालक "** की श्रेणी में आती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक – 02 से 07 का विवेचन एवं निष्कर्ष

16. प्रकरण में सबसे पहले यह देखा जाना होगा, कि क्या आरोपीगण ने अभियोक्त्री को पृथक्-पृथक् स्थानों पर ले जाकर किराए के कमरे में रखा था ?

17. इस संबंध में **अभियोक्त्री अ.सा.1** ने बताया है कि करीब 2 साल पूर्व उसके पिता के मोबाईल पर रिंकेश का फोन आया जिसका नंबर 6265322049 था तबसे उसकी और रिंकेश की बातें शुरू हो गई थी। वर्ष 2023 के बरसात के समय की बात है उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए हुए थे और वह रामपायली जाने वाली सरकार बस में बैठी थी, उसी बस में रिंकेश भी बैठा हुआ था। वे लोग बात करने लगे उस समय उसके साथ घर का कोई सदस्य नहीं था वह अकेली थी तब रिंकेश ने उससे कहा कि चलो बालाघाट घूमकर आते है तो उसने हां कह दिया और रिंकेश ने उसे **भटेरा** बालाघाट में अपने दोस्त के रूम लेकर गया, जहां वह तथा रिंकेश थे, दोस्त नहीं था। अभियोजन की ओर से भटेरा स्थित किराए के रूम पर रहने वाले मकान के स्वामी को साक्षी ही नहीं बनाया है और न ही रिंकेश के भटेरा स्थित रूम पर रहने वाले मित्र को साक्षी बनाया है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं होता कि अभियुक्त रिंकेश ने अभियोक्त्री को भटेरा स्थित रूम पर लेकर गया हो।

18. अभियोक्त्री ने यह भी बताया है कि दिनांक 27.02.2024 को वह कन्हारटोला से लालपुर पैदल आयी, लालपुर में शाम 6:00 बजे रिंकेश मिला और उसने रात करीब 10-11 बजे बालाघाट **बूढ़ी** स्थित किराये के कमरे में ले गया, जहां पर आशीष जगने सालेबर्डी का पहले से रहता था जिसे वह पूर्व से नहीं जानती थी। इस संबंध में बूढ़ी स्थित मकान मालिक के कथन देखें, तो साक्षी **कोकिला बंसोड़ अ.सा.4** ने बताया है कि मार्च 2024 में आशीष रूम देखने अकेला आया था और उसकी बहन के साथ रहने का कहा था जिसका नाम शालिनी बताया था। दो-चार दिन बाद दोनों शिफ्ट हो गये थे और 20-25 दिन तक रहे। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि दोनों भाई-बहन नहीं है तो उन्होंने रूम खाली करवा दिया था। आगे बताती है कि जिस लड़की की

फोटो पुलिस ने दिखाई थी वह आरोपी के साथ रूम में रहती थी और इनके अलावा कमरे में किसी को न देखना कहती है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर नाईट में आशीष ड्यूटी जाता तो दूसरा लड़का आना बताती है जिसे आशीष का भाई कहती है। **प्रतिपरीक्षण** देखें तो स्वीकार करती है कि जो 2 लड़के व लड़की आये थे उनके पहचान संबंधी दस्तावेज उसने नहीं रखे। यह स्वीकार करती है कि वह घर में जिस लड़की को पहचानी थी उसे पुलिस लेकर नहीं आयी थी। यह बताने में असमर्थता व्यक्त करती है कि वर्ष 2024 में उसके यहां कौन-कौन किरायेदार रहते थे। साक्षी मुख्य परीक्षा में बताती है कि कमरे में दोनों के अलावा किसी को नहीं देखा, वहीं पक्षद्रोही होने पर कहती है कि आशीष के नाईट डयूटी पर जाने पर दूसरा लड़का आता था तथा आशीष के द्वारा उस दूसरे लड़के को भाई बताना कहती है। उपरोक्त साक्ष्य से यह तो दर्शित हो रहा है कि 20 से 25 दिन तक अभियोक्त्री ही आशीष के साथ रही है, इस संबंध में अभियोक्त्री की पहचान पुलिस ने उक्त साक्षी से नहीं कराई है तब इस बात पर संदेह है कि आशीष के साथ जो शालिनी नाम की लड़की थी, वह अभियोक्त्री ही थी या नहीं। तर्क के लिये यदि इस दौरान अभियोक्त्री ही आशीष व रिंकेश के साथ रही हो, तो उसके द्वारा उनके साथ रहने में कोई आपत्ति की हो, या कोई शिकायत की हो, इस तथ्य का उक्त साक्षी ने कोई समर्थन नहीं किया है।

19. अभियोक्त्री ने यह भी बताया है कि वह आरोपी **आशीष व रिंकेश** के साथ **मोतीनगर** स्थित किराये के कमरे में रही और मोतीनगर के मकान मालिक को शक होने लगा तो उन्होंने वह रूम छोड़ दिया। वहीं मोतीनगर बालाघाट स्थित मकान मालिक **बालकिशन मेश्राम अ.सा.5** की साक्ष्य देखें, तो वह आरोपीगण व पीड़िता को पहचानना कहता है तथा उन्हें 06.04.2024 से करीब ढाई महीने तक किराए के कमरे में रहना बताता है तथा माह जून में स्वयं कमरा खाली करना कहता है। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि उसने कमरे में रिंकेश के साथ में रहने के संबंध में पुलिस को नहीं बताया। वह पहली बार रिंकेश का नाम बता रहा है।

प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार करता है कि पुलिस शिवानी को लेकर उसके घर नहीं आयी। यह स्वीकार करता है कि उसने लड़का, लड़की से आधार कार्ड की प्रति लिया था किंतु संभालकर नहीं रखा। उक्त साक्षी के अनुसार शिवानी ही अभियोक्त्री है, इस संबंध में उसने कोई कथन नहीं किया है न ही पुलिस ने उक्त साक्षी से अभियोक्त्री की पहचान कराई तब शिवानी ही अभियोक्त्री है इस बात में भी संदेह उत्पन्न होता है।

20. अभियोक्त्री ने यह भी बताया है कि वह आशीष के साथ गर्रा स्थित रूम पर भी रही। इस संबंध में गर्रा स्थित मकान मालिक **तोपेश बिसेन अ.सा.6** के कथन को देखें, तो साक्षी आशीष को पहचानना कहता है, रिंकेश को नहीं जानता कहता है तथा अभियोक्त्री की फोटो दिखाए जाने पर उसे भी पहचानने से इंकार करता है। आगे कहता है कि 2 अगस्त को आशीष कमरा किराए से लेने आया था और 5 तारीख को सामान रखा था। पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर बताता है कि आशीष ने कहा था कि वे भाई बहन रहेगें किंतु उसने आशीष की बहन को नहीं देखा। इस बात से इंकार करता है कि उसे आशीष ने बहन का नाम शिवानी बताया था। **प्रतिपरीक्षण** में स्वीकार करता है कि आशीष उनके घर में एक रात भी किराये से नहीं रूका। इस बात को भी स्वीकार करता है कि पुलिस आशीष को लेकर उसके घर नहीं आयी थी। इस प्रकार तोपेश बिसेन की साक्ष्य से यह दर्शित नहीं होता कि आरोपी आशीष व अभियोक्त्री उसके घर पर रूके हों। अन्य मकान मालिक जिन्होंने अपने घर पर आरोपी व अभियोक्त्री को रहना बताया है किंतु उनकी पहचान के संबंध में स्पष्ट रूप से कोई कथन नहीं किए है और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि आरोपी आशीष या रिंकेश ही उनके घर पर कुछ समय के लिये किराए पर रहे हो और उनके साथ जो लड़की रूकी थी वह अभियोक्त्री ही थी। साक्षी तोपेश बिसेन ने तो आरोपी आशीष जगने को अपने घर पर रूकने से ही पूर्णतः इंकार किया है।

21. बचाव पक्ष की ओर से श्री तपेश कुमार रंगारे अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क किया गया है कि

मामले में घटनास्थल प्रमाणित नहीं हुआ है उसमें संदेह है। इस संबंध में अभियोक्त्री के कथन देखें, तो कंडिका 8 में बताती है कि वह जहां-जहां आरोपीगण के साथ रही, पुलिस ने उन स्थानों का मौकानक्शा प्र.पी.5 लगायत प्र.पी.8 तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 17 में स्वीकार करती है कि गर्रा के मकान में रिपोर्ट लिखाने के बाद दुबारा कभी नहीं गई। यह भी स्वीकार करती है कि वह भटेरा वाले मकान में पुलिस को लेकर नहीं गई। मकान मालिक बालकिशन मेश्राम ने स्वीकार किया है कि पुलिस अभियोक्त्री को लेकर उसके घर नहीं आयी। गर्रा मकान का मकान स्वामी तोपेश बिसेन अ.सा.6 ने भी स्वीकार किया है कि आशीष उसके घर पर एक रात भी किराये से नहीं रूका और न ही पुलिस उसे लेकर उसके घर आयी थी। अभियोक्त्री का पिता अ.सा.3 ने भी प्र.पी.5 लगायत 8 पर अपने हस्ताक्षर थाने में करना बताया है। विवेचक साक्षी ने भी स्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.6 व प्र.पी.7 बनाते समय घ टनास्थल पर पहुंचने के लिये अभियोक्त्री व उसके पिता को सूचना पत्र नहीं दिया था। इस प्रकार अभियोक्त्री, अभियोक्त्री के पिता एवं अन्य साक्षीगण के कथनों से घटनास्थल प्रमाणित नहीं होता है, अर्थात इससे यह भी प्रमाणित नहीं होता कि अभियोक्त्री प्रश्नगत स्थानों पर आरोपीगण के साथ रही थी।

22. अब यदि यह मान भी लिया जाये कि अभियोक्त्री प्रश्नगत स्थानों पर आरोपी रिंकेश व आशीष के साथ रही और उसके साथ आरोपीगण ने शारीरिक संबंध स्थापित किए, तो इस संबंध में अभियोक्त्री की साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाती है।

23. **अभियोक्त्री अ.सा.1 मुख्य परीक्षण** में बताती है कि वर्ष 2023 में वह सरकार बस में बैठी थी जिसमें रिंकेश भी बैठा हुआ था और दोनों की बात हुई और उसने कहा कि चलो बालाघाट चलते है और घूमकर आते है तो उसने हां कह दिया तब रिंकेश ने उसे भटेरा किसी मित्र के रूम पर लेकर गया और शादी करने का कहकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया और सरकार बस से ही वापस रामपायली छोड़ दिया। वह जब घर पहुंची तो उसे माता पिता

को पता चला कि वह किसी लड़के के साथ घूमने गई थी तो उसे बहुत डांट पड़ी और उसने उक्त बात रिंकेश को बताई तो रिंकेश ने कहा कि चलो शादी कर लेते है, उसने सेटिंग कर लिया और उसके बाद 27.02.2024 को रिंकेश रात करीब 10-11 बजे बालाघाट के बूढ़ी स्थित किराए के कमरे में ले गया जहां आशीष जगने पहले से रहता था जिसे वह नहीं जानती थी, रिंकेश ने उसे कहा था कि आशीष को अपना मुंह बोला भाई बोलना। बूढ़ी स्थित किराए के कमरे में भी रिंकेश ने उसके साथ मना करने के बावजूद कई बार शारीरिक संबंध बनाया था।

24. आगे बताती है कि रिंकेश के ड्यूटी पर जाने के दौरान उसकी आशीष से दोस्ती हो गई थी और दोस्ती की आड़ में **आशीष** भी उसके साथ कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। इस दौरान करीब 01 माह तक वह उनके साथ उनके कमरे में रही और उसे पीरियड आना बंद हो गया। प्रैग्नेंसी किट से चेक किया तो पाजीटिव आने पर उसकी जानकारी रिंकेश व आशीष को दी जिन्होंने उसे टेबलेट लाकर दिये जिसे खाने से उसका गर्भपात हो गया और पीरियड आना शुरू हो गया था। आगे के परीक्षण को एक साथ देखें तो बताती है कि इसके पश्चात रिंकेश व आशीष ने उसे मोतीनगर व गर्रा के अलग-अलग स्थानों पर रखा और उसके मना करने पर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। उसने थाना जाकर आरोपीगण के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी जो प्र.पी.3 है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.4, मौकानक्शा प्र.पी. 5 से प्र.पी.8 एवं न्यायालयीन बयान प्र.पी.10 है। अभियोक्त्री ने पक्षद्रोही होने पर आरोपीगण के विरूद्ध दिनांक 24.08.2024 को रिपोर्ट लेख कराया जाना बताया है।

25. **अभियोक्त्री का पिता अ.सा.3** की साक्ष्य देखें तो उसने बताया है कि 20 या 21 अगस्त के पूर्व से ही अभियोक्त्री घर से गायब थी जिसकी उसने गुम इंसान रिपोर्ट लेख कराया था। आगे बताता है कि अभियोक्त्री ने उसे बताई थी कि आरोपी आशीष व रिंकेश ने उसे अपने साथ रूम पर रखे थे और उसके शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म किये थे। अभियोक्त्री आरोपीगण के साथ करीब 3 माह रही। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित

कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर अभियोक्त्री के बताने पर घटना की जानकारी होना कहता है। **अभियोक्त्री का पिता प्रतिपरीक्षण** में स्वीकार करता है कि अभियोक्त्री इसके पूर्व भी घर छोड़कर गई थी। यह स्वीकार करता है कि गांव के लोगों ने उसे बताए थे कि अभियोक्त्री लड़कों के साथ घूमती है तब उसने अभियोक्त्री पर हाथ उठाया था और उसे डांटा था जिस कारण वह अपनी मौसी के घर चली गई थी। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में स्वीकार करता है कि उसने अभियोक्त्री के साथ बलात्कार होने के संबंध में रिपोर्ट लेख नहीं कराया। अभियोक्त्री जब उसे मिली उसके 5 माह पूर्व ही अभियोक्त्री बिना बताए चली गई थी। इस प्रकार उपरोक्त साक्षी के कथन से यह स्पष्ट हो रहा है कि अभियोक्त्री स्वयं ही घर से बिना बताए चली गई थी, अभियोक्त्री ने भी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 11 में स्वीकार किया है कि वह वह स्वेच्छया से रिंकेश के साथ बालाघाट गई थी। यह भी स्वीकार करती है कि वह मौसी के घर जा रही हूं, घर में झूठ बोलकर रिंकेश के साथ गई थी। यह भी स्वीकार करती है कि उसने पापा को यह नहीं बताया कि वह रिंकेश के साथ जा रही है। इस प्रकार अभियुक्तगण के द्वारा उसे अपने साथ अन्यत्र स्थानों पर ले जाकर रखने के संबंध में साक्षी के कथनों में गंभीर विरोधाभाष आया है।

26. बलात्संग के संदर्भ में देखें, तो अभियोक्त्री ही सर्वश्रेष्ठ साक्षी है। अभियोक्त्री अ.सा.1 का **प्रतिपरीक्षण** देखें, तो जब उसे रिंकेश ने बालाघाट चलने कहा तो उसने उसे यह नहीं कहा कि वह पहले घर जाएगी उसके बाद सोचकर बताएगी। यह भी स्वीकार करती है कि जब वह भटेरा स्थित रूम पर आयी उसी दिन शाम को कन्हारटोला आ गई थी किंतु उसने अपने घर में यह नहीं बताई कि वह रिंकेश के साथ बालाघाट से घूमकर आयी है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में स्वीकार करती है कि जब वह 1-2 माह पश्चात रिंकेश के साथ बालाघाट आयी थी तब उसने घर पर मौसी के घर जाना बताया था तथा उसी दिन शाम तक वापस कन्हारटोला आ गई थी। इस बात को भी स्वीकार करती है कि वह घर में झूठ बोलकर निकली थी कि वह मौसी के घर जा रही है। इस बात को भी स्वीकार करती है कि जब वह फोन पर रिंकेश से

बात करती तो उसे पिता उसे डांटते थे। इस बात को भी स्वीकार करती है कि उसने रिंकेश के साथ जाने की जानकारी अपने पिता को नहीं दी थी। इस बात को भी स्वीकार करती है कि जब उसके पहली बार रिंकेश के साथ शारीरिक संबंध बने, की जानकारी उसने अपने पिता को नहीं दी। यह भी स्वीकार करती है कि घटना की जानकारी उसके पिता को रिपोर्ट लिखाते समय हुई थी। बचाव पक्ष द्वारा यह सुझाव दिए जाने पर कि उसने लिखित रिपोर्ट प्र.पी.3 व बयान में यह बता दिया था कि " बूढ़ी के मकान में रिंकेश ने उसे कहा था कि तुम आशीष को अपना मुंह बोला भाई बोलना, जब बस में मैं बैठी थी तब मेरे साथ घर के कोई सदस्य नहीं थे, मैं अकेली थी, मेरी कुछ रिंकेश के साथ अश्लील फोटो व वीडियो थे" किंतु उक्ताशय के कथन प्र. डी.1 व प्र.पी.3 में लेख ही नहीं है।

27. आगे अभियोक्त्री स्वयं यह स्वीकार करती है कि उसने पीरयिड रूकने के संबंध में मुलाहिजा होने पर डाक्टर को नहीं बताया था। आगे यह स्वीकार करती है कि जब वह महिला थाना गई तब पुलिस ने पिता को बुलाई तो उन्होंने आने से मना कर दिया था। यह भी स्वीकार करती है कि जब उसने पिता को फोन की तो उन्होंने कहा था कि घर नहीं आना, उसने उनका नाम खराब कर दिया है। इस बात को भी स्वीकार करती है कि उसके पिता ने कहा था कि जिन लड़कों के साथ गांव में घूमती थी उनके खिलाफ कार्यवाही करना फिर उनके पास आना। अभियोक्त्री कंडिका 16 में स्वीकार करती है कि उसने फरवरी 2024 में घर छोड़ा उसके बाद उसका पिता से संपर्क नहीं किया। कंडिका 18 में स्वीकार करती है कि वह फरवरी से अगस्त तक घर छोड़कर रही, उक्त अवधि में वह अपना सामान्य जीवन यापन कर रही थी। इस बात को भी स्वीकार करती है कि उपरोक्त अवधि में उसने अपनी छोटी बहनों व मां से संपर्क नहीं किया। यह भी स्वीकार करती है कि उक्त अवधि में उसने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। यह भी स्वीकार करती है कि पुलिस ने उसे अश्लील फोटो व वीडियो तथा मोबाईल नहीं दिखाया था।

28. अभियोक्त्री के आचरण को देखें, तो वह पूर्ववर्ती कथन अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. में रिंकेश से शादी करने कन्हारटोला से पैदल लालपुर पैदल आना कहती है तथा रिंकेश के साथ बाईक से बालाघाट आना कहती है तथा रहने के लिये कहीं स्थान न होने पर अपने दोस्त आशीष जगने को फोन करना और रिंकेश के साथ भागकर आयी हूं, कहकर उसके बूढ़ी स्थित रूम पर रूकना कहती है। वहीं अभियोक्त्री के न्यायालयीन कथन का अवलोकन करें, तो कंडिका 3 में आरोपी आशीष को पूर्व से ना जानना कहती है। पूर्ववर्ती कथन में यह भी बताती है कि उसे पता चला कि रिंकेश का किसी दूसरी लड़की के साथ भी संबंध है तब रिंकेश ने उससे माफी मांगा और दुबारा ऐसा नहीं करेगा कहती है किंतु उक्ताशय के कथन अपने न्यायालयीन कथन में नहीं बताती है। आगे यह भी बताती है कि जब वह गर्रा में आशीष के साथ रहने लगी और उसे पापा की याद आने लगी तो उसने उक्त बात आशीष को बताई तो आशीष ने कहा कि मिल आओ और जब उसने पिता से बात की उन्होंने बात करने से मना कर दिया किंतु उक्ताशय के कथन का भी न्यायालयीन साक्ष्य में अभाव है। अभियोक्त्री के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन में आशीष ने उसके साथ जबरदस्ती दोस्ती की आड़ में शारीरिक संबंध बनाया हो, इस तथ्य का भी अभाव है। इस प्रकार अभियोक्त्री के पूर्ववर्ती व पश्चातवर्ती कथनों में भी गंभीर विरोधाभाष दर्शित होता है।

29. बचाव पक्ष की ओर से तर्क किया गया है घटना की रिपोर्ट अत्यंत विलम्ब से लेख कराई है। अभियोक्त्री क्रमांक 1 के कथन को देखें, तो वह घटना वर्ष 2023 बरसात के समय की बताती है तथा दिनांक 20.08.2024 को महिला पुलिस थाना में आरोपीगण के शिकायत करना कहती है। पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न में आरोपीगण के विरूद्ध 24.08.2024 को रिपोर्ट लेख कराया जाना कहती है जबकि घटना 01.07.2022 से 20.08.2024 के मध्य की है। इस प्रकार अभियोक्त्री घटना की तिथि के संबंध में विरोधाभाषी कथन कर रही है। वहीं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.4 का अवलोकन करें, तो घटना दिनांक 01.07.2022 से 20.08.2024 के मध्य होना

उल्लेखित है। इस प्रकार अभियोक्त्री ने घटना किस तिथि को लेख कराई, के संबंध में कोई कथन नहीं किये गये हैं। विलम्ब के संबंध में देखें, तो घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र 02 किलोमीटर है। इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखकर्ता साक्षी के कथन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। **उप निरीक्षक किरण वटके अ.सा.9** ने बताया है कि उन्होंने दिनांक 24.08.2024 को महिला पुलिस थाना बालाघाट में पदस्थ रहने के दौरान अभियोक्त्री द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध लिखित शिकायत प्र.पी.1 के आधार पर अपराध क्रमांक 12/2024 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.4 लेख की थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.4 का अवलोकन करें, तो उसमें कॉलम नंबर 8 में रिपोर्ट विलंब से लेख कराए जाने का कारण में शिकायतकर्ता के आने पर लेख की गई, उल्लेखित है। वहीं अभियोक्त्री का परीक्षण देखें, तो उसने बताया है कि उसने दिनांक 20.08.2024 को महिला थाना में आरोपीगण के विरूद्ध शिकायत की थी तब प्रथम सूचना रिपोर्ट भी उसी दिनांक की होनी चाहिए, किंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24.08.2024 को लेख की गई है। अभियोक्त्री कंडिका 7 में बताती है कि वह आशीष जगने के साथ रिपोर्ट लिखाने गई थी। अभियोक्त्री आरोपी आशीष व रिंकेश के द्वारा उसके साथ घटना कारित होना भी बताती है और आरोपी आशीष के साथ ही रिपोर्ट लिखाने थाना जाना कहती है। अभियोक्त्री ने यह बताया है कि घटना की जानकारी उसने अपने पिता को दी तो उन्होंने आने से मना कर दिया अर्थात घटना की जानकारी, घटना दिनांक को ही हो गई थी किंतु उसके पश्चात भी रिपोर्ट दिनांक 24.08.2024 को प्रथम बार घटना कारित होने के करीब 02 वर्ष बाद लेख कराई गई। इस संबंध में न्याय दृष्टांत-**H.P. vs. Shree Kant Shekari, (2004) 8 SCC 153** अवलोकनीय है -

"In any event, delay per se is not a mitigating circumstance for the accused when accusations of rape are involved. Delay in lodging first information report cannot be used as a ritualistic formula for discarding prosecution case and doubting its authenticity. It only puts

the court on guard to search for and consider if any explanation has been offered for the delay. Once it is offered, the Court is to only see whether it is satisfactory or not. In a case if the prosecution fails to satisfactorily explain the delay and there is possibility of embellishment or exaggeration in the prosecution version on account of such delay, it is a relevant factor. प्रस्तुत प्रकरण में भी अभियोक्त्री के मकान से पुलिस स्टेशन की दूरी मात्र 02 किलोमीटर की होने के बाद भी विलम्ब से रिपोर्ट लिखवाना संतोषप्रद नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.4 के अवलोकन से करीब 02 वर्ष पश्चात विलम्ब से रिपोर्ट लेख कराया जाना दर्शित होता है जिसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

30. प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में अभियोक्त्री के कथन देखें, तो वह कंडिका 7 में कहती है कि उसने 20.08.2024 को महिला पुलिस थाना में आरोपीगण की शिकायत की थी। इस संबंध में विवेचक साक्षी किरण वटके अ.सा.9 ने भी स्वीकार किया है कि पीड़िता के द्वारा दिनांक 20.08.2024 को एस.पी. कार्यालय में रिपोर्ट दर्ज करने हेतु शिकायती पत्र दिया गया था जो महिला थाना बालाघाट को दिनांक 20.08.2024 को ही अग्रेषित किया जा चुका था। यह भी स्वीकार करती है कि उक्त प्र.डी.2 के आवेदन में एस.पी. आफिस द्वारा उसे शिकायत गंभीर प्रकृति की है, अपराध उचित धाराओं में पंजीबद्ध किए जाने का उल्लेख भी किया गया था। अब प्र.डी.1 का लिखित आवेदन पत्र का अवलोकन करें तो उसमें अभियोक्त्री ने आशीष जगने के द्वारा उसके साथ कोई कृत्य किए जाने के संबंध में कोई तथ्य उल्लेखित नहीं किये हैं। विवेचक साक्षी ने भी स्वीकार किया है प्र.डी.1 में ऐसा उल्लेखित नहीं है कि आशीष जगने अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। बल्कि अभियोक्त्री ने आशीष के साथ ही महिला थाना शिकायत करने जाना बताया है। जब महिला थाना बालाघाट को दिनांक 20.08.2024 को शिकायत आवेदन पत्र एस.पी. आफिस से अपराध पंजीबद्ध करने हेतु अग्रेषित किया चुका है तो उनके द्वारा दिनांक 20.08.2024 को अपराध दर्ज क्यों नहीं किया गया, का कोई स्पष्टीकरण

नहीं दिया गया है।

31. अभियोक्त्री के द्वारा प्र.पी.3 का द्वितीय लिखित शिकायत आवेदन पत्र भी महिला थाना प्रभारी बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन का अवलोकन करें, तो उसमें अभियोक्त्री ने आशीष के द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का उल्लेख किया है। विवेचक साक्षी यह स्वीकार करती है कि उनके द्वारा प्र.डी.1 के आवेदन के संबंध में न्यायालय को सूचित नहीं किया गया और न ही प्रकरण में संलग्न किया गया है। यह स्वीकार करती है कि प्र.डी.1 का आवेदन देने की दिनांक 20.08.2024 से पीड़िता को बालिका आश्रम में रखवा दिया गया था। विवेचक साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्र.डी.1 का आवेदन उन्हें मिलने के बाद भी उनके द्वारा अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया। विवेचक साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रथम घटना के दो वर्ष पश्चात लेख कराई गई है। इस प्रकार अभियोक्त्री ने दिनांक 20.08.2024 को प्र.डी.1 का प्रथम आवेदन दिया जिसमें वह आरोपी आशीष का नाम नहीं बताती है तथा द्वितीय आवेदन पत्र दिनांक 24.08.2024 को देने पर आशीष का नाम लेख करा देती है। विवेचक साक्षी ने भी स्वीकार किया है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय से उन्हें दिनांक 20.08.2024 को अपराध दर्ज करने प्र.डी.1 का आवेदन प्राप्त हो चुका था किंतु उन्होंने अपराध पंजीबद्ध नहीं किया। इस प्रकार उपरोक्त से यह दर्शित हो रहा है कि अभियोक्त्री किसी न किसी के बहकावे में आकर प्र.डी.1 के आवेदन पत्र में आशीष का नाम नहीं बताती है और द्वितीय आवेदन प्र.प.3 में आशीष का नाम लेख कर देती है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट समय पर लेखबद्ध न कराए जाने के संबंध में साक्ष्य में विसंगतियां मौजूद है।

32. अब यदि बलात्संग के संदर्भ में चिकित्सकीय साक्ष्य को देखा जाए, तो मेडिकल साक्षी **डॉ. वर्षा रंगारे अ.सा.7** ने भी मेडिकल मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी. 20 को प्रमाणित करते हुए कथन किए है कि पीड़िता ने उन्हें यह नहीं बताई कि आशीष से उसके कितने दिन पूर्व शारीरिक संबंध बने

थे। यह भी स्वीकार करती है कि अभियोक्त्री ने उसे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने एवं आरोपी का नाम नहीं बताई थी। पीड़िता ने यह बताई थी कि उसने गर्भपात की गोली तीन महीने पूर्व खाई थी। इस बात को स्वीकार करती है कि गर्भपात हेतु ली गई दवाई पैथोलाजी रिपोर्ट में नहीं पायी गई थी। यह भी स्वीकार करती है कि पीड़िता को महिला पुलिस थाना बालाघाट के द्वारा वन स्टाप सेंटर से मुलाहिजा हेतु लाया गया था। इस बात को भी स्वीकार करती है कि सोनोग्राफी रिपोर्ट में पीड़िता के गर्भवती होने के लक्षण नहीं पाये गये थे तब ऐसी दशा में उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर भी आरोपी-गण के विरूद्ध बलात्संग के संबंध में कोई प्रतिकुल उपधारणा नहीं की जा सकती है।

33.प्रकरण में आरोपीगण का मुलाहिजा भी हुआ है। **डॉ. साहिल खान अ.सा.2** ने बताया है कि दिनांक 25.08.2024 को आरोपी रिंकेश पिता झनकलाल का मेडिकल परीक्षण किए जाने पर पाया गया कि वह पूर्णतः स्वस्थ था, शरीर पर किसी प्रकार के चोट-खरोंच के निशान नहीं थे तथा वह संभोग करने में सक्षम था तत्पश्चात उनके द्वारा आरोपी रिंकेश की सीमन स्लाईड, प्यूबिक हेयर, अंडरवियर एवं 3 एम.एल. ब्लड सेंपल ईडीटीए वायल में लेकर व सीलबंद कर संबंधित आरक्षक को सौंप दिया था, परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.11 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। आगे बताया है कि उक्त दिनांक को ही आरोपी आशीष का परीक्षण किए जाने पर उसके एग्जलरी व प्यूबिक हेयर उपस्थित होकर विकसित थे, वह पूर्ण होश हवास में था, टेसटिस नार्मल थे तथा उसके शरीर पर किसी प्रकार के चोट व खरोंच के निशान नहीं थे तथा वह संभोग करने में सक्षम था। उनके द्वारा आरोपी आशीष की सीमन स्लाईड, प्यूबिक हेयर, अंडरवियर एवं 3 एम.एल. ब्लड सेंपल ईडीटीए वायल में लेकर व सीलबंद कर संबंधित आरक्षक को सौंप दिया था, परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.12 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। **प्रतिपरीक्षण** में स्वीकार करता है कि उसने ब्लड सेंपल को *Ice Box* में नहीं रखा था और उसने उक्त बात संबंधित आरक्षक को बता दिया था।

34. इस संदर्भ में यदि **डी.एन.ए. रिपोर्ट प्र.पी. 34** को देखा जाए, तो उसमें स्पष्ट अंकित है कि :- पीड़िता के स्त्रोत वैजाईनल स्लाइड (प्रदर्श A) एवं प्यूबिक हेयर (प्रदर्श B) एवं (प्रदर्श C) अंडरवियर के लिये गए नमूने से एक समान महिला (Autosomal STR) DNA Profile प्राप्त हुई है। पीड़िता के स्त्रोत (प्रदर्श C) अंडरवियर से प्राप्त डी.एन.ए. प्रोफाईल (Y-STR) तथा आरोपी रिंकेश घनसुरे के स्त्रोत रक्त नमूना (प्रदर्श H) से प्राप्त डी.एन.ए. प्रोफाईल (Y-STR) से भिन्न होने का पता चला है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोक्त्री के साथ आरोपी रिंकेश के द्वारा बलात्कार नहीं किया है।

35. जहां तक पीड़िता के स्त्रोत अण्डरवियर (प्रदर्श C) में आरोपी आशीष कुमार जगने के स्त्रोत रक्त नमूना (प्रदर्श D) से प्राप्त DNA Profile (Y-STR) के समान होने का प्रश्न है, तो यह माना जा सकता कि आरोपी आशीष कुमार जगने के द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया गया हो।

36. इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से श्री तपेश कुमार रंगारे अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि आरोपी आशीष जगने के मुलाहिजा उपरांत जप्तशुदा प्रदर्शो को प्राप्त किए जाने वाले पुलिस साक्षी सूरज वरकड़े की साक्ष्य नहीं कराई गई है, इसलिए उसके द्वारा जप्ती प्रमाणित नहीं होती है तथा जप्तशुदा प्रदर्शो को विधिक प्रक्रिया का पालन किए बिना ही एफ.एस.एल. सागर भेजा गया है। इस संबंध में **डॉ. साहिल खान अ.सा.2** के कथन देखें, तो उन्होंने बताया है कि उनके द्वारा आरोपीगण से लिये गये ब्लड सेंपल को ईडीटीए वायल में लिया गया था किंतु उसे *Ice Box* में नहीं रखा था और उसे संबंधित आरक्षक सूरज वरकड़े को बता भी दिया था किंतु अभियोजन ने आरोपीगण को मुलाहिजा हेतु लेकर गये आरक्षक सूरज वरकड़े की साक्ष्य ही नहीं कराई है। अब अभियोक्त्री का मुलाहिजा करने वाली चिकित्सा अधिकारी **वर्षा रंगारे अ.सा.7** की साक्ष्य देखें, तो उन्होंने बताया है कि पीड़िता को वन स्टाप सेंटर से मुलाहिजा हेतु दिनांक 24. 08.2024 को लाया गया था। अभियोक्त्री ने भी स्वीकार किया है कि रिपोर्ट लेख कराने के

5-6 दिन पूर्व से ही पुलिस वाले उसे वन स्टाप सेंटर में रखे हुए थे जहां पर वह रहना, खाना करती थी और वन स्टाप सेंटर से उसे पहनने के लिए कपड़े मिलते थे उन्हें ही वह पहनती थी और धोती थी।

37. अभियोक्त्री का मुलाहिजा दिनांक 24.08.2024 को हुआ है और अभियोक्त्री रिपोर्ट लेख कराने के अर्थात 24.08.2024 के 5-6 पूर्व से ही वन स्टाप सेंटर में रह रही थी तथा वहीं के दिए हुए कपड़े पहन रही थी और उसे धोती भी थी। चिकित्सक साक्षी ने भी स्वीकार किया है कि पीड़िता ने उन्हें यह नहीं बताई थी कि घटना के समय पहने हुए अंदरूनी कपड़े पहनकर ही वह मुलाहिजा के लिये आयी थी। अभियोक्त्री के साथ अंतिम बार घटना 20.08.2024 को घटित होना बताई गई है और वह मुलाहिजा के 5-6 दिन पूर्व से ही वन स्टाप सेंटर में थी, वहीं के दिए हुए कपड़े पहनती और उन्हें धोती भी थी, तो करीब एक सप्ताह पश्चात् मुलाहिजा होने पर उसके अण्डरवियर में डी.एन.ए. की मौजूदगी संदिग्ध प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में अभियोक्त्री के प्रश्नगत अण्डरवियर में आरोपी आशीष कुमार जगने का डी.एन.ए. पाया जाना संदेहास्पद हो जाता है।

38. विवेचक साक्षी **उप निरीक्षक किरण वटके अ.सा.9** के कथन देखें, तो उसने बताया है कि अभियोक्त्री के पिता से सहमति लेकर अभियोक्त्री को मुलाहिजा हेतु जिला अस्पताल बालाघाट भेजा था। महिला आरक्षक **रीना नगपुरे अ.सा.10** ने अभियोक्त्री को दिनांक 24.08.2024 को मुलाहिजा हेतु जिला अस्पताल बालाघाट ले जाना बताया है तथा मुलाहिजा उपरांत अभियोक्त्री के चिकित्सक द्वारा प्रिजर्व सीलबंद पैकेट में वैजाईनल स्लाईड, प्यूबिक हेयर व अंडरवियर सौंपे जाने पर उप निरीक्षक किरण वटके को जप्त कराए जाने की साक्ष्य दी है। **प्रतिपरीक्षण** में रीना नगपुरे स्वीकार करती है कि चिकित्सक ने जिस अवस्था में उसे पैकेट सौंपा था उसी अवस्था में उसने पैकेट को जप्त कराई थी। यह भी स्वीकार करती है कि उसने प्र.पी.25 को पूर्ण रूप से भरने व सील लगाने के बाद ही उस पर अपने हस्ताक्षर किये थे। यह भी स्वीकार करती है कि जब

उसने प्र.पी.25 पर हस्ताक्षर की तब उस पर जिला अस्पताल की नमूना सील लगी हुई थी। विवेचक साक्षी किरण वटके ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 21 में स्वीकार किया है कि प्र.पी.25 का जप्तीपत्रक थाने में तैयार किया गया। यह भी स्वीकार करती है कि प्र.पी.25 व प्र.पी.29 में बी से बी भाग पर जिला चिकित्सालय बालाघाट की सील लगी हुई है। जब प्र.पी.25 व प्र.पी.29 थाने में तैयार किए गए तो उसमें जिला चिकित्सालय की सील पूर्व से लगी होने के तथ्य भी विवेचक साक्षी के कथन को संदेहास्पद बनाते है। विवेचक साक्षी आगे कंडिका 26 में बताती है कि उन्होंने प्र.पी.25 व प्र.पी.29 में लेख सामग्री थाने के मालखाने में रखवाई थी और मालखाने में रखे सामान की प्रविष्टि एवं एफ.एस.एल. भिजवाने की प्रविष्टि की थी। यह स्वीकार करती है कि उन्होंने मालखाना पंजी की प्रति प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की है। अंत में प्रश्न किए जाने पर कि प्र.पी.13 व प्र.पी.14 के रक्त नमूना के संग्रहण फार्म में रक्त नमूना लेने वाले पुलिस कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं है तो साक्षी हां में उत्तर देती है तथा कंडिका 27 में स्वीकार करती है कि प्र.पी.11 व प्र.पी.12 में ईडीटीए वायल में रक्त सेंपल सौंपे जाने का उल्लेख नहीं है। कंडिका 28 में स्वीकार किया है कि उनके द्वारा दिनांक 26.08.2024 को प्र. पी.32 के ड्राफ्ट के माध्यम से पीड़िता व आरोपीगण के प्रदर्श एफ.एस.एल. सागर भिजवाये गये थे। प्रकरण में आरोपी आशीष कुमार जगने को मुलाहिजा हेतु जिला अस्पताल लेकर जाने एवं चिकित्सक द्वारा दिए गए प्रदर्शो को प्राप्त कर वापस थाना आकर जप्त कराए जाने के संबंध में पुलिस साक्षी सूरज वरकड़े की साक्ष्य ही नहीं कराई गई और न ही विवेचक साक्षी किरण वटके द्वारा आरोपी से जप्त प्रदर्शो को किसके द्वारा पेश किए जाने पर जप्त किया, के संबंध में भी साक्ष्य का अभाव है, ऐसी स्थिति में आरोपी आशीष जगने की मुलाहिजा उपरांत सीमेन स्लाईड, प्यूबिक हेयर, अंडरवियर व ब्लड सेम्पल की जप्ती ही प्रमाणित नहीं होती है। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से यह दर्शित हो रहा है कि जब प्र.पी.25 व प्र.पी.29 के दस्तावेज थाने में तैयार किए गये तो उसमें जिला अस्पताल की सील कैसे चस्पा हो गई तथा पुलिस साक्षी सूरज वरकड़े की साक्ष्य के अभाव में उसे आरोपी आशीष के मुलाहिजा उपरांत चिकित्सक द्वारा

प्रिजर्व प्रदर्शो को किसे लाकर जप्त कराया गया, का साक्ष्य का अभाव होने के संबंध में प्रश्नगत दस्तावेजों को थाने पर तैयार किये जाने के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता।

39. प्रकरण में **वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. अवनिश कुमार अ.सा.12** की भी साक्ष्य लेखबद्ध कराई गई है जिन्होंने बताया है कि उन्हें 26.08.2024 के पत्र के माध्यम से 11 सीलबंद पैकेट प्राप्त हुए थे। पावती प्र.पी.33 का अवलोकन करें तो प्राप्ति दिनांक 28.08.2024 अंकित है अर्थात जप्तशुदा प्रदर्शो को दिनांक 24.08.2024 को प्राप्त कर दिनांक 26.08.2024 को को एफ.एस.एल. सागर भेजा गया और वह दिनांक 28.08.2024 को एफ.एस.एल. सागर में प्राप्त हुआ अर्थात उपरोक्त प्रदर्श का पैकेट दिनांक 24.08.2024 को सीलबंद होने के पश्चात 05 दिन पश्चात दिनांक 28.08.2024 को प्राप्त हुआ है जबकि परीक्षण दिनांक 10.09.2024 को प्रारंभ हुआ है अर्थात् 12 दिवस पश्चात् तैयार की गई है।

40. आगे बताया है कि उनके द्वारा दिनांक 10.09.2024 से उक्त प्रदर्शो की जांच प्रारंभ की गई एवं दिनांक 22.10.2024 को जांच के पश्चात डी.एन.ए. रिपोर्ट तैयार की गई थी जो प्र.पी.34 है। आगे बताया है कि परीक्षण उपरांत उनके द्वारा पीड़िता के स्त्रोत अंडरवियर प्रदर्श–सी से प्राप्त डी.एन.ए. प्रोफाईल (Y-STR) के समान तथा आरोपी आशीष जगने के स्त्रोत रक्त नमूना प्रदर्श–डी से प्राप्त डी.एन.ए. प्रोफाईल (Y-STR) के समान है तथा पीड़िता के स्त्रोत अंडरवियर प्रदर्श–सी से प्राप्त डी.एन.ए. प्रोफाईल (Y-STR) तथा आरोपी रिंकेश घनसुरे के स्त्रोत रक्त नमूना प्रदर्श–एच से प्राप्त डी.एन.ए. प्रोफाईल (Y-STR) के भिन्न है।

41. वैज्ञानिक साक्षी का **प्रतिपरीक्षण** देखें, तो कंडिका 9 में स्वीकार करता है कि परीक्षण के लिए प्रदर्श–सी अंडरवियर मिलने पर प्रथम प्रक्रिया सीमेन पहचानने की होती है। यह भी स्वीकार करता है कि सीमेन की पहचान के लिये फिजीकल, केमिकल, माईक्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रोफेरेटिक एवं डिफ्यूजन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि प्रश्नगत अंडरवियर में सीमेन की पहचान के लिये उपरोक्त प्रक्रिया अपनाने के संबंध में उन्होंने कोई दस्तावेज

प्रकरण में पेश नहीं किये है। यह भी स्वीकार करता है कि बलात्कार के प्रकरण में पीड़िता व आरोपी का मिश्रित डी.एन.ए. प्रोफाईल प्राप्त होती है। इस बात को भी स्वीकार करता है कि बलात्कार के प्रकरणों में प्राप्त डी.एन.ए. हेतु दिए गए नमूनों में पीड़िता व पुरूष दोनों का डी.एन.ए. मिश्रित होता है। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में स्वीकार करता है कि परीक्षण के लिए प्राप्त अंडरवियर में महिला का डी.एन.ए. प्राप्त नहीं होने का अर्थ है, अंडरवियर महिला की नहीं है। साक्षी यह भी बताता है कि यदि महिला ने नया अंडरवियर पहना है तो महिला का डी.एन.ए. प्राप्त होने की संभावना कम है, यदि सीमेन वैजाईना के अंदर से बाहर लगता है तो महिला का मिश्रित डी.एन.ए. आएगा, यदि वैजाईना के आउट पार्ट में लगता तो डी.एन.ए. आने की संभावना कम है, सेप्रेशन जीनो टाईपिंग की प्रोसेस है अर्थात नमूनों में मौजूद विभिन्न आनुवंशिक वेरिएंट्स को पृथक् करना और उनकी पहचान करने से संबंधित है।

42. वैज्ञानिक साक्षी कंडिका 11 में प्रश्न किए जाने पर कि प्रश्नगत मामले में अंडरवियर में मिश्रित डी.एन.ए. प्रोफाईल में पीड़िता की डी.एन.ए. प्रोफाईल के साथ आशीष जगने की डी.एन.ए. प्रोफाईल होने संबंधी मिश्रित डी.एन.ए. प्रोफाईल रिपोर्ट पेश नहीं की गई है, तो उत्तर में सही है कहता है फिर स्वतः में कहता है कि टेबल नंबर 2 में मिश्रित नहीं है। कंडिका 12 में प्रश्न किए जाने पर कि एक से अधिक व्यक्तियों के मिश्रित डी.एन.ए. प्रोफाईल होने संबंधी आशंका की जांच के लिये कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो उत्तर में कोई अन्य परीक्षण नहीं होना बताता है और यही एक निर्धारित प्रक्रिया होती है जो उनके द्वारा अपनाना कहता है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 20 में साक्षी इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि Autosomal तालिका में पीड़िता की अंडरवियर में जेनेटिक मार्कर आशीष के जेनेटिक मार्कर से मैच नहीं करते है अर्थात् इसका तात्पर्य यह है कि पीड़िता की प्रश्नगत अंडरवियर में पाया गया डी.एन.ए. आरोपी आशीष जगने का नहीं है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 22 के अंत में यह भी स्वीकार करता है कि एक्सट्रेक्शन, कांटीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन एवं जीनों टाईपिंग के दस्तावेजों

के अध्ययन के बिना प्र.पी.34 की रिपोर्ट की सत्यता का पता नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार जप्तशुदा अंडरवियर जो डी.एन.ए. परीक्षण हेतु भेजी गई और जिसका परीक्षण किया गया है उसमें संदेह उत्पन्न होता है। प्रकरण में यह भी आया है कि आरोपी आशीष जगने को मुलाहिजा उपरांत चिकित्सक द्वारा प्रिजर्व कर जिस पुलिस कर्मचारी को सौंपे गये उसे परीक्षित नहीं कराया गया, इससे यह दर्शित नहीं हो रहा है कि उसके द्वारा जप्तशुदा प्रदर्शो को किसे लाकर जप्त कराया गया, ऐसी स्थिति में जप्ती भी प्रमाणित नहीं हो रही है। जब आरोपी आशीष का मुलाहिजा दिनांक 25.08.2024 को हो चुका था और उक्त तिथि को ही उसकी सीमेन स्लाईड, प्यूबिक हेयर, अंडरवियर एवं रक्त नमूना को संबंधित को सौंपा जा चुका था तथा पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा ड्राफ्ट के माध्यम से दिनांक 26.08.2024 को एफ.एस.एल. सागर भेजा गया है और वह दिनांक 28.08.2024 को एफ.एस.एल. सागर में प्राप्त हुआ जबकि बालाघाट से एफ.एस.एल. सागर की दूरी इतनी नहीं है कि वहां पहुंचने में 03 दिन का समय लगे अर्थात इन मध्य की अवधि में प्र.पी.32 का ड्राफ्ट किसके पास और किस अवस्था, किस तापमान में उसे रखा गया, क्या प्रश्नगत अडरंवियर वही अंडरवियर थी जिसे अभियोक्त्री से जप्त कराया गया, की साक्ष्य का अभाव परिलक्षित हो रहा है, ऐसी स्थिति में अभियोक्त्री की प्रश्नगत अंडरवियर में आरोपी आशीष का रक्त नमूना डालकर उसमें टेम्परिंग किए जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। जबकि अभियोक्त्री के साथ एक से अधिक बार बलात्संग हुआ और चिकित्सक द्वारा अभियोक्त्री के परीक्षण में किसी प्रकार का रक्त स्त्राव या डिस्चार्ज नहीं पाया गया तो प्रश्नगत अंडरवियर में अभियुक्त आशीष का डी.एन.ए. मिलना संदेहास्पद सा लगता है। ऐसी स्थिति में उक्त डी.एन.ए. रिपोर्ट प्र.पी.34 संदिग्ध हो जाती है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत-**Rahul Vs state of Delhi (2023) 1 S.C.C. (Cri) 305 क्रिमिनल अपील नम्बर 611@2022** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी.एन.ए. साक्ष्य से दस्तावेजीकरण, नमूना संग्रहण, पैकेजिंग संरक्षित करना, मालखाना एवं परीक्षण में हुई देरी से भेजने पर एफ.एस.एल. रिपोर्ट को संदिग्ध माना

है। बचाव पक्ष की ओर से न्यायदृष्टांत-**Kattavellai @ Devakar Vs State of Tamilnadu Criminal Appeal No. 1672/2019** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त मामले में माननीय न्यायालय ने Chain of custodey के विषय में उल्लेख किया है जो वर्तमान मामले के समान ही है। इस मामले को देखें तो इसमें भी विवेचक साक्षी के द्वारा जप्तशुदा प्रदर्शो को प्राप्त करने और उसे विधिवत प्रक्रिया का पालन कर डी.एन.ए. हेतु भेजे जाने के संबंध में कानूनी प्रक्रिया में सबूतों के संग्रह, हस्तांतरण, विश्लेषण और भंडारण का कालानुक्रमिक दस्तावेजीकरण सही तरीके से नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त न्यायदृष्टांत का लाभ आरोपी को प्राप्त होता है।

43. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती कपले द्वारा तर्क करते हुए कहा गया है कि डी.एन.ए. रिपोर्ट के आधार पर यह प्रमाणित है कि अभियुक्त आशीष कुमार जगने के द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया गया है। वहीं दूसरी ओर से अभियुक्त आशीष कुमार जगने के विद्वान अधिवक्ता श्री तपेश कुमार रंगारे द्वारा तर्क करते हुए कहा गया है कि अभियोक्त्री एवं उसके अन्य साक्षीगण की मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया गया है। यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियोक्त्री की वैजाईनल स्लाईड व प्यूबिक हेयर पर अभियुक्त का डी.एन.ए. था। अभियोक्त्री के अंडरवियर पर अभियुक्त का डी.एन.ए. पाये जाने के आधार पर यह प्रमाणित नहीं हो सकता कि अभियुक्त के द्वारा ही उसके साथ बलात्कार किया गया था। ऊपर की गई विवेचना के आधार पर डी.एन.ए. रिपोर्ट प्र.पी.34 संदिग्ध पायी गई है। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि डी.एन.ए. रिपोर्ट के संबंध में प्रदर्शो को उचित रूप से प्रयोगशाला तक भेजा गया और उनका संकलन उचित रूप से किया गया है तो उक्त रिपोर्ट पर भरोसा किया जा सकता है और उसके निष्कर्ष विधि के अधीन एक सबूत के तौर पर माने जाते है। इस मामले में जो डी.एन.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसके आधार पर यह तथ्य प्रमाणित है कि जिस

अंडरवियर पर अभियुक्त आशीष जगने का डी.एन.ए. पाया गया है वह अंडरवियर अभियोक्त्री की थी, परन्तु मात्र इस तथ्य के प्रमाणित हो जाने से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त और अभियोक्त्री के मध्य शारीरिक लैंगिक संबंध स्थापित हुए थे क्योंकि अभियोक्त्री ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराने के 5-6 पूर्व से ही वन स्टाप सेंटर में रहती थी, वहीं खाना खाती थी तथा वहीं से कपड़े मिलते तो उन्हें पहनती और धोती थी। अभियोक्त्री ने मुलाहिजा के समय यह भी नहीं बताया था कि वह घटना के समय के पहने हुए ही अंदरूनी कपड़े ही पहनकर मुलाहिजा के लिये आयी थी अर्थात् जब अभियोक्त्री मुलाहिजा के 5-6 पूर्व से ही वन स्टाप सेंटर में थी, वहीं खाती, रहती तथा वहीं के कपड़े पहनती और उन्हें धोती थी, तो अंतिम बार घटना कारित होने के 6 दिन पश्चात् मुलाहिजा उपरांत उससे जप्त अंडरवियर में आरोपी आशीष का डी.एन.ए. पाया जाना संदेहास्पद हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्त आशीष के द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया गया हो। बलात्कार के संबंध में यह प्रमाणित होना आवश्यक है कि अभियोक्त्री और अभियुक्त के मध्य शारीरिक संपर्क हुआ हो। अभियोक्त्री के अंडरवियर पर अभियुक्त का डी.एन.ए. बिना शारीरिक संपर्क के भी प्राप्त हो सकता है। अभियोक्त्री के अंडरवियर पर अभियुक्त का डी.एन.ए. पाया जाना उस समय महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकता था जबकि अभियोक्त्री यह कथन करती कि अभियुक्त ने उसके साथ अंतिम बार कब शारीरिक संबंध बनाया गया और उस समय वह उसी अंडरवियर को पहने हुए थी जिस पर की अभियुक्त आशीष का डी.एन.ए. पाया गया। इस मामले में उपरोक्त परिस्थिति विद्यमान नहीं है। उपरोक्त स्थिति में अभियोक्त्री के अंडरवियर पर अभियुक्त आशीष के डी.एन.ए. पाये जाने मात्र से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त आशीष के द्वारा ही अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया गया। उपरोक्त के आधार पर यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त-गण के द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया गया। यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त-गण ने अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर अयुक्त संभोग करने के आशय से अपने साथ रखकर उसके साथ बार-बार बलात्संग कर गुरूत्तर

प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया।

44. जहां तक अभियोक्त्री के गर्भवती होने के दौरान उसे आरोपीगण के द्वारा गर्भपात की दवाई खिलाकर गर्भपात कराए जाने का प्रश्न है, तो अभियोक्त्री ने बताया है कि उसने प्रेग्नेंसी किट से चेक किया तो प्रेग्नेंसी पाजीटिव आयी तो उसने रिंकेश और आशीष को बताई उसके बाद उन्होंने अलग-अलग तरह की दवाई उसके लिये लाये जिनका नाम उसे नहीं पता। दवाई खाने के दो दिन बाद उसे पीरियड आ गये थे। अभियोक्त्री की साक्ष्य में यह भी नहीं आया कि आरोपीगण ने उसे कौन सी दवाई लाकर दी और उसके द्वारा दवाईयों के रैपर को पुलिस को जप्त कराया हो। बल्कि अभियोक्त्री स्वयं यह स्वीकार करती है कि उसने चिकित्सक को यह नहीं बताई थी कि उसके साथ क्या घटना हुई थी। चिकित्सक साक्षी डॉ. वर्षा रंगारे अ.सा.7 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि उन्होंने पीड़िता की सोनोग्राफी रिपोर्ट में उसके गर्भवती होने के लक्षण नहीं पाये थे। इस प्रकार अभियोक्त्री एवं चिकित्सक साक्षी की साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि अभियोक्त्री आरोपीगण से ही गर्भवती हुई एवं उनके द्वारा उसे गर्भपात की दवाई लाकर देने से उसका गर्भपात हुआ।

45. प्रकरण में जप्तशुदा मोबाईल की फॉरेन्सिक जांच रिपोर्ट प्र.पी.37 भी प्रस्तुत है जिसके अनुसार प्रदर्श-ए व प्रदर्श-बी से प्रार्थिया की फोटोग्राफ्स प्राप्त हुए है जिसमें प्रदर्श-ए से प्रार्थिया की आपत्तिजनक फोटो प्राप्त होने का उल्लेख है, का अवलोकन करें तो ज्यादातर फोटोग्राफ्स अभियोक्त्री के एकल फोटोग्राफ्स है तथा एक फोटो में एक लड़की का पीठ का भाग एक लड़के के साथ दिखाई दे रहा है किंतु वह अभियोक्त्री ही है, नहीं कहा जा सकता तथा एक अभियोक्त्री का एकल फोटोग्राफ्स है जो कि हंसमुख मुद्रा में होकर स्वेच्छया से खिंचवाया जाना दर्शित हो रहा है। अभियोक्त्री का कथन देखें, तो उसने इस संबंध में बताया है कि रिंकेश ने उसके फोन पर अश्लील विडियो व फोटो लिया था तथा उसकी रिंकेश के साथ फोटो व विडियो थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी स्वीकार करती है कि पुलिस ने उसे अश्लील फोटो व वीडियो नहीं

दिखाए थे। यह भी स्वीकार करती है कि पुलिस ने उसे मोबाईल भी नहीं दिखाया था। इस संबंध में उप निरीक्षक किरण वटके अ.सा.9 ने बताया है कि उन्होंने आरोपी रिंकेश से उसका रेडमी कंपनी का मोबाईल जप्त कर जप्तीपत्रक प्र.पी.27 तैयार किया था तथा आरोपी आशीष से रियल मी कंपनी का मोबाईल जप्त कर जप्तीपत्रक प्र.पी.28 तैयार किया था एवं जप्तशुदा मोबाईलों को जांच हेतु सायबर फारेसिंक जोन बालाघाट भेजा था जिसका पत्र प्र.पी.35 है, पावती प्र.पी.36 तथा रिपोर्ट प्र.पी.37 है। प्रतिपरीक्षण में अ.सा.9 किरण वटके स्वीकार करती है कि प्र.पी.3 की शिकायत में पीड़िता का मोबाईल नंबर का उल्लेख नहीं है। यह भी स्वीकार करती है कि पीड़िता के नाम से इस्तेमाल किये गये मोबाईल नंबर की कॉल डिटेल व कैफ प्रकरण में पेश नहीं की है। इस बात को भी स्वीकार करती है कि आशीष और पीड़िता साथ में रहते थे, इस संबंध में उनके द्वारा कोई इलैक्ट्रानिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

46. बचाव पक्ष की ओर से तर्क किया गया है कि सायबर सेल का धारा 63 (4)(सी) का प्रमाण पत्र अपूर्ण है तथा मोबाईल कंपनी द्वारा सी.डी.आर. कैफ की सत्यता से संबंधित दस्तावेज नहीं दिये गये है, इसलिए सी.डी.आर. कैफ साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। उक्त तर्क के संबंध में देखें, तो प्रकरण में सायबर फॉरेंसिक लैब, म.प्र. पुलिस बालाघाट को जिस प्रधान आरक्षक सूरज वरकड़े के द्वारा जप्तशुदा मोबाईलों को पेश किया गया है, को परीक्षित नहीं कराया गया तथा सायबर रिपोर्ट पेश करने वाले साक्षी की साक्ष्य भी नहीं कराई गई है तथा धारा 63(4)(सी) का प्रमाण पत्र का प्रदर्शित भी नहीं कराया गया है। अभियोक्त्री ने भी उसके तथा आरोपीगण के फोटोग्राफ्स व विडियो देखें जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है, ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति के द्वारा जप्तशुदा मोबाईल से सी.डी.आर. कैफ तैयार की गई, का प्रमाण पत्र प्रदर्शित न होने तथा अपूर्ण दस्तावेजों के अभाव में प्रस्तुत सायबर फॉरेसिंक रिपोर्ट प्र.पी.37 साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

47. अभियुक्त रिंकेश घंसुरे की ओर से श्री पंकज पिपरेवार अधिवक्ता द्वारा तर्क में बताया है कि अभियोक्त्री के कथन विश्वसनीय नहीं है उसके द्वारा सह-अभियुक्त आशीष के दबाव में आकर आरोपी रिंकेश के विरूद्ध कथन किये हैं। विवेचक साक्षी अ.सा.9 के द्वारा भी प्र.डी. 1 के आवेदन के आधार शीघ्र प्रथम सूचना लेख नहीं की गई जिसमें भी संदेह है। उक्त तर्क के संबंध में देखें, तो आरोपी रिंकेश घनसुरे की ओर से स्वयं के बचाव में साक्ष्य लेखबद्ध कराई और बताया है कि वह पीड़िता और वह एक दूसरे से प्यार करते थे। पीड़िता के पिता वाहन चालक है और वह कंडेक्टर के रूप में कार्य करता था इसलिए उसका उनके घर आना जाना था। पीड़िता के माता पिता को यह जानकारी थी कि पीड़िता और वह प्यार करते है और शादी करने वाले है इसलिए वे उनकी शादी के खिलाफ थे। पीड़िता के माता-पिता के द्वारा पीड़िता के साथ उसका विवाह करने से मना कर दिया था। वह तथा पीड़िता आपस में प्यार करते थे और इसकी जानकारी आशीष को हुई तो उसने पीड़िता के ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाकर उसे जेल भिजवाने के लिये उसके विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाया है उसके द्वारा पीड़िता के साथ कोई गलत काम नहीं किया गया तथा वह कभी बालाघाट में निवास ही नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि आशीष ने पीड़िता के उपर दबाव देकर उसके विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाया वह आज पहली बार बता रहा है। यह बताने में असमर्थता व्यक्त करता है कि पीड़िता ने न्यायालयीन कथन में उसके विरूद्ध क्यों कथन दिये। जहां तक रिंकेश के द्वारा बालाघाट में पीड़िता के साथ बलात्कार किए जाने का प्रश्न है तो अभियुक्त रिंकेश ने बताया है कि वह बालाघाट में कभी रहा ही नहीं जिसका समर्थन बालाघाट, बूढ़ी, मोतीनगर व गर्रा स्थित किराए के मकान स्वामियों ने किया है। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि वह रिंकेश को नहीं जानते। ऊपर की गई विवेचना के अनुसार अभियोक्त्री व उसके पिता के कथनों में गंभीर विरोधाभाष आया है एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट भी सोच-समझकर विलम्ब से लेख कराई गई है जिसका कोई स्पष्टीकरण अभिलेख पर मौजूद नहीं है तथा डी.एन.ए. रिपोर्ट से भी आरोपी रिंकेश के द्वारा पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।

48. यदि तर्क के लिये अभियोक्त्री के आशीष जगने के साथ शारीरिक संबंध बनने और डी.एन.ए. रिपोर्ट प्र.पी.34 को प्रमाणित मान भी लिया जाये, तो अभियोक्त्री ने अपने पूर्ववती कथन में स्पष्ट रूप से बताया है कि वह आशीष को पूर्व से जानती थी जो उसका मित्र था और प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करती है कि वह आशीष के साथ ही सह-आरोपी रिंकेश के विरूद्ध रिपोर्ट लेख कराने गई थी। यह भी स्वीकार करती है कि दोनों के साथ रहने के दौरान उसकी आशीष से दोस्ती हो गई थी और जब रिंकेश ड्यूटी पर चले जाता तो दोस्ती में ही आशीष ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। ऊपर की गई विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि अभियोक्त्री घटना के समय 18 वर्ष से कम आयु की थी। अभियोक्त्री ने अपने कथन में यह कहीं नहीं कहा है कि आरोपी आशीष ने उसे किसी धोखे में रखकर या किसी प्रकार की धमकी या प्रलोभन देकर शारीरिक स्थापित किए हो बल्कि स्वेच्छया से ही उनके साथ शारीरिक संबंध बनना प्रकट होते है। प्रकरण में आयी समस्त साक्ष्य से इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई है कि आरोपी के द्वारा किसी झूठे आश्वासन के आधार पर अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य आयी है कि अभियोक्त्री ने किसी झूठे आश्वासन के भ्रम में आकर आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस संबंध में न्यायदृष्टांत-**<u>महेश्वर तिग्गा विरूद्ध स्टेट ऑफ झारखण्ड क्रिमिनल अपील नंबर 635/2020</u>** अवलोकनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **<u>उदय विरूद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटक</u>** का उल्लेख करते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि-

It therefore appears that the consensus of judicial opinion is in favour of the view that the consent given by the prosecutrix to sexual intercourse with a person with whom she is deeply in love on a promise that he would marry her on a later date, cannot be said to be given under a misconception of fact. A false promise is not a fact within the meaning of the Code. We are inclined to agree with this view, but we

must add that there is no straitjacket formula for determining whether consent given by the prosecutrix to sexual intercourse is voluntary, or whether it is given under a misconception of fact. In the ultimate analysis, the tests laid down by the courts provide at best guidance to the judicial mind while considering a question of consent, but the court must, in each case, consider the evidence before it and the surrounding circumstances, before reaching a conclusion, because each case has its own peculiar facts which may have a bearing on the question whether the consent was voluntary, or was given under a misconception of fact. It must also weigh the evidence keeping in view the fact that the burden is on the prosecution to prove each and every ingredient of the offence, absence of consent being one of them."

49. संपूर्ण प्रकरण के संबंध में न्याय दृष्टांत **कर्नाटक राज्य विरूद्ध सुवरनम्मा एवं अन्य (2015) 1 SCC 323** अवलंबनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायालय के कर्तव्यों को परिभाषित करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था कि न्यायालय एक मूक दर्शक की तरह व्यवहार नहीं कर सकती, विशेषकर दांडिक मामलों में और अपना प्राथमिक कर्तव्य अर्थात् अभिलेख पर उपलब्ध साम्रगी के आधार पर सत्य की खोज से किनारा नहीं कर सकती। न्यायालय को दोषी को दोषसिद्ध करना और निर्दोष को बचाना ही होता है।

50. अन्य न्याय दृष्टांत **राज्य द्वारा सी.बी.आई. एवं महेन्द्र सिंग दाहिया AIR 2011 SC 1017** में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि अपराध कितना भी पिशाचिक हो, आरोपी को दोषसिद्ध ठहराये जाने का सिद्धिभार हमेशा अभियोजन पर होता है। न्यायालय को सदैव सर्तक रहना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय का निष्कर्ष भावनाओं से प्रभावित ना होकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर आधारित हो। अन्य

न्यायदृष्टांत **<u>रामदेव प्रसाद विरूद्ध बिहार राज्य (2013) 7 SCC 725</u>** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि, ऐसे मामले जो कि मृत्यदंड से दण्डनीय है, में न्यायालय को किसी भी विवरण को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा या अमहत्वपूर्ण हो। प्रत्येक विवरण पर समुचित विचार किया जाना चाहिए।

51. अतः उपरोक्त सभी तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में तथा सम्माननीय न्यायदृष्टांतों के आलोक में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य आरोपीगण की दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त नहीं है। आरोपीगण संदेह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है।

52. इस संबंध में अद्यतन न्यायदृष्टांत **<u>दिनेश यादव विरूद्ध म.प्र.राज्य आई.एल.आर. 2023 एम.पी. 1841 डी.बी.</u>** अवलंबनीय है, जिसमें माननीय मध्य-प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मामला एक अवयस्क पर लैंगिक हमले से संबंधित है, अपीलार्थी को यांत्रिक रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक कि विधिक परीक्षण एवं अपेक्षित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, अपीलार्थी को केवल मामले की संवेदनशीलता के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

53. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 29 एवं 30 उपधारणा सृजित करती है, ऐसी उपधारणा आधारभूत तथ्यों को स्थापित करने की अभियोजन की क्षमता पर निर्भर होती है। जब अभियोजन द्वारा कोई भी आधारभूत तथ्य स्थापित नहीं किए जा सकते, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 29 व 30 के अंतर्गत उपधारणा की सहायता लेकर आरोपी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।

54. उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों के कारण, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि, अभियोजन, धारा 29 व 30 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत न्यायालय द्वारा यह उपधारणा किये जाने कि आरोपी द्वारा ही, अभियोजित अपराध किया गया है, तथा जिसके लिए उसकी अपेक्षित आपराधिक व मानसिक दशा थी, के लिए आवश्यक

आधारभूत तथ्य (Foundational Facts) युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में, पूर्णतः असफल रहा है।

55. अतः उपरोक्त समस्त साक्ष्य विवेचन के आधार पर अभियोजन, आरोपी रिंकेश घंसुरे के विरूद्ध अपना मामला प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि घटना दिनांक 01.07.2022 के आसपास ग्राम कन्हारटोला अंतर्गत थाना रामपायली की 16 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री जो कि भौरगढ़ जाने वाली बस में थी, को बहला-फुसलाकर, अयुक्त संभोग करने के आशय से उसके माता-पिता की विधिक संरक्षकता से पृथक् कर भौरगढ़ से बालाघाट भटेरा स्थित मकान पर ले जाकर, रखकर उसका व्यपहरण किया एवं दिनांक 01.07.2022 से 20.08.2024 के मध्य की अवधियों में अवयस्क अभियोक्त्री को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ विभिन्न स्थानों पर बार-बार बलात्संग किया एवं उसके गर्भवती होने के दौरान गर्भपात की टेबलेट खिलाकर उसका गर्भपात कराया तथा बार-बार बलात्संग कर गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया जिसके फलस्वरूप अभियोक्त्री गर्भवती हुई तथा यह प्रमाणित करने में भी असफल रहा है कि अभियुक्त **आशीष कुमार जगने** ने दिनांक 27.02.2024 के आसपास ग्राम कन्हारटोला अंतर्गत थाना रामपायली की 16 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर, अयुक्त संभोग करने के आशय से उसके माता-पिता की विधिक संरक्षकता से पृथक कर मोतीनगर बालाघाट स्थित मकान पर रखकर उसका व्यपहरण किया एवं दिनांक 27.02.2024 से 20.08.2024 के मध्य की अवधियों में अवयस्क अभियोक्त्री के साथ विभिन्न स्थानों पर बार-बार बलात्संग किया एवं उसके गर्भवती होने के दौरान गर्भपात की टेबलेट खिलाकर उसका गर्भपात कराया तथा यह भी प्रमाणित नहीं होता कि बार-बार बलात्संग कर गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया जिसके फलस्वरूप अभियोक्त्री गर्भवती हुई।

56. आरोपी **रिंकेश घंसुरे** एवं **आशीष कुमार जगने** के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 137 (2), 87, 64(2)(m), 88 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,

2012 की धारा 5(L), 5(j)(ii)/6 के अपराध के आरोप प्रमाणित नहीं होते है। अतः प्रमाणित न पाये जाने के आधार पर आरोपी **रिंकेश घंसुरे** पिता झनकलाल घंसुरे एवं आरोपी **आशीष कुमार जगने** पिता दुर्गाप्रसाद जगने को उपरोक्त धाराओं के आरोपों से **"दोषमुक्त"** किया जाता है।

57. अभियुक्त-गण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अतः अभियुक्तगण के जेल वारंट पर इस आशय की टीप लेख की जावे, कि उन्हें इस मामले में दोषमुक्त किया गया है उनकी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें अविलम्ब अभिरक्षा से स्वतंत्र किया जावे।

58. अभिलेख के अनुसार अभियुक्त रिंकेश घंसुरे दिनांक 25.08.2024 से दिनांक 10.02.2026 तक एवं अभियुक्त आशीष कुमार जगने दिनांक 25.08.2024 से 10.02.2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहे हैं। उक्त संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के तहत प्रमाण-पत्र तैयार कर संलग्न किया जाये।

59. प्रकरण में जब्तशुदा सम्पत्ति वैजाईनल स्लाईड, सीमेन स्लाईड, प्यूबिक हेयर, अंडरवियर, ब्लड सेंपल मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा की जावे।

60. प्रकरण में आरोपी रिंकेश घंसुरे से जप्तशुदा एक मोबाईल रेड मी कंपनी का रेड मी नोट 8 प्रो आसमानी रंग का जिसका IMEI No. (1) 869646046837712 (2) 869646046837720 जिसमें जियो कंपनी की सिम नंबर 6265322049 लगी है तथा आरोपी आशीष कुमार जगने से जप्तशुदा एक मोबाईल रीयल मी कंपनी का रीयल मी 5I-RMX2030 आसमानी नीले रंग का जियो जियो कंपनी की 7489253732 सिम लगी है, अपील अवधि पश्चात संबंधित को मोबाईल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें वापस लौटाया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे। शेष संपत्तियां अभिलेख का भाग होने से प्रकरण में संलग्न रहेगी।

61. प्रकरण में जप्तशुदा अभियोक्त्री की कक्षा दसवीं की मूल अंकसूची उसके पिता रामप्रसाद आड़े के द्वारा आदेश पत्रिका दिनांक 16.07.2025 के आदेश वापस प्राप्त कर सत्यप्रति पेश की है।

62. यह आदेशित किया जाता है कि अभियोक्त्री का नाम, पता, फोटोग्राफ अथवा परिवार की जानकारी एवं ऐसी अन्य विशिष्टियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी प्रकाशन ना किया जाए, जिससे अभियोक्त्री की पहचान प्रकट हो सके।

63. निर्णय को सी.आई.एस. में अपलोड किया जावे।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

स्थान :- बालाघाट

दिनांक - 10.02.2026

GOUTAM SINGH MARKAM

Digitally signed by GOUTAM SINGH MARKAM
Date: 2026.02.10 17:51:28 +0530

(गौतम सिंह मरकाम)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बालाघाट
जिला-बालाघाट (म.प्र.)